H.V.S/L.D/6 12/12/97

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 नवम्बर, 1996

खण्ड 2, अंक 5

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh LIBRARY

विषय सूची

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)15
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 17
विशेषाधिकार भंग के प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(5) 18
वाक आउट	(5) 20
अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न —	
(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(5) 20
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
कृषि मन्त्री द्वारा	(5) 25
अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न (पुनरारम्भ)	
(ii) इंडियन एक्सप्रैस के संवाददाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(5) 25
वाक आउट	(5) 34
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(5) 35
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(5) 35
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(5) 35
दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996	(5) 36

मूल्य : Rs 56—

Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Haryana
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 नवम्बर, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr Speaker : Hon'ble Members, the question hour.

Laying of Sewerage System in Ateli Mandi

***66. Rao Narender Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay Sewerage system in Ateli Mandi; and

(b) if so, the time by which the afore-said proposal is likely to be implemented ?

विकास तथा पंचायत मन्त्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय अटेली मंडी के अन्दर पानी खड़ा रहने की वजह से वहां पर बहुत गन्दगी फैलती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इस बारे में वे कुछ करेंगे ताकि वहां पर पानी न खड़ा रहे ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या ये वहां पर सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग रखकर वहां पर सिवरेज सिस्टम का प्रावधान करेंगे ?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में 80 शहर हैं उनमें से 40 शहरों के अन्दर सिवरेज बिछाने का पार्टली काम चल रहा है। चार शहर ऐसे भी हैं जिनमें सिवरेज का काम नहीं हुआ है। किसी में चालीस प्रतिशत, किसी में सत्तर प्रतिशत और किसी में अस्सी प्रतिशत काम हो चुका है लेकिन पच्चासी प्रतिशत से ज्यादा किसी में काम नहीं हुआ है। आपके एरिए में चालीस लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी मिलता है। इसलिए माननीय सदस्य के एरिए में सिवरेज प्रणाली बिछाने का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। जहां तक सैनेटरी बोर्ड की बात कही है अभी तक इस बारे में कोई प्रपोजल नहीं है।

Mr. Speaker : If you want to ask any more supplementary in this regard you may ask.

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी सवाल किया था उसका भी यही जवाब दिया गया था "जी नहीं"। और आज भी यही जवाब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कहीं यह राजनैतिक दृष्टि से तो जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, इसमें राजनैतिक दृष्टि वाली कोई बात नहीं है। इनके पिता जी पिछली सरकार में मंत्री होते थे। उन्होंने इतना घाटा छोड़ा है जो कि हमें सम्भालना मुश्किल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, समय के अनुसार पैसे का प्रबन्ध होने पर हर कस्बे और गांवों में हम यह काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि वाटर सप्लाई का काम हो लेकिन इसके लिए धन की जरूरत है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, भिवानी, रिवाड़ी और हिसार डैजरट डिस्ट्रिक्ट हैं। इस बारे में तो मंत्री जी को ज्ञान होगा कि वहां पर जितने भी वाटर वर्कस हैं उनकी कैपेसिटी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर से 70 लीटर और 70 लीटर से 110 लीटर कर दी है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए पैसे का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, अटेली मंडी भी उसी एरिए में है तो क्या वहां पर भी 40 लीटर से 110 लीटर प्रति व्यक्ति करने की कोई स्कीम इनके विचाराधीन है। इसके अलावा जहां पर 70 लीटर और 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी उपलब्ध होगा, क्या वहां पर सिवरेज सिस्टम चालू करने को प्राथमिकता देंगे ?

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, जो बीरेन्द्र सिंह जी ने पूछा है मैं इनको यह कहना चाहूँगा कि 6 जिले सिरसा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और रोहतक ऐसे हैं जहां पर आबादी के हिसाब से ज्यादा पानी देने का प्रस्ताव है। जहां पर 40-45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी का प्रावधान है वहां पर 70 लीटर, जहां पर 70 लीटर है वहां पर 110 लीटर और जहां पर 110 लीटर है वहां पर दो सौ लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देने का प्रस्ताव है यह सारी चीजें पैसे होने पर निर्भर है। जब हमारे पास पैसा होगा तब ही कुछ होगा। हमने वाटर सप्लाई के हिसाब से पूरा पानी बढ़ाया है। बहिन जी बैठी हैं उनको पता है कि जब कमेटीज से यह एग्रीमैन्ट हुआ था तो उस समय उसमें यह हुआ था कि लोकल सैल्फ गवर्नमैंट डिपार्टमैंट साढ़े सोलह करोड़ रुपये इस सिवरेज सिस्टम को ठीक करने के लिए देगा लेकिन उस डिपार्टमैंट ने भी हमारे को एक पैसा नहीं दिया। जब वह डिपार्टमैंट हमें पैसा देगा तो और जल्दी यह काम शुरू होगा। इस काम में राजनैतिक द्वेष या बदले की भावना वाली कोई बात नहीं है जैसा मैम्बर साहेबान ने कहा था। स्पीकर सर, मेरे हल्के में ही सिवानी मंडी है वहां पर भी सिवरेज सिस्टम नहीं है जबकि ये अटेली मंडी की बात कर रहे थे। स्पीकर सर, इस काम के लिए ज्यादा पानी व पैसा जरूरी है। अगर हमें यह दोनों चीजें मिलेंगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी प्रति दिन लोगों को मिले। अगर हमारे पास पानी व पैसा होगा तो गांवों में भी यह काम थोड़ा-थोड़ा चल सकता है और गावों में लोगों को घरों में पानी के कुनैकशन भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जब तक पानी नहीं बढ़ेगा तब तक सिवरेज कामयाब नहीं हो सकता। स्पीकर सर, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि हरियाणा में सामुहिक लैटरिन बना दी गयी थीं लेकिन पानी की कमी की वजह से कोई लैटरिन कामयाब नहीं हो सकी। वे सारी की सारी वैसी ही पड़ी हैं। आज उनको कोई भी आदमी यूज़ नहीं करता और अगर पहले कोई एक या दो दिन के लिए चला गया हो तो मुझे पता नहीं।

श्री विनोद कुमार मढ़िया : स्पीकर सर, मुझे पता चला है कि टोहाना में एक राम नगर एरिए के लिए जो वाटर सप्लाई स्कीम सरकार ने बनायी थी और जिसके लिए 70 लाख रुपये का प्रावधान किया

गया था तो क्या वह वास्तव में स्कीम बनायी गयी थी ? यदि हां, तो वह स्कीम कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो सिवरेज से संबंधित है और माननीय सदस्य वाटर सप्लाई स्कीम की बात कह रहे हैं। सर, हम कोशिश करेंगे क्योंकि यह हमारे विभाग का धर्म और फर्ज है कि हर एक गांव और हर एक व्यक्ति को साफ सुथरा पानी दिया जाए।

श्रीमती कान्ता देवी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि झज्जर शहर में जो सिवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्या उसको सुधारने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि अभी तक जहां पर सिवरेज व्यवस्था नहीं है तो क्या वहां पर नयी सिवरेज प्रणाली बिछाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, माननीय कान्ता जी ने जो पूछा है, हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे लेकिन जहां तक इन्होंने नयी सिवरेज व्यवस्था को बढ़ाने की बात कही है तो हम थोड़ा-थोड़ा करके सारे शहरों में जहां पर तीस परसैंट या चालीस परसैंट काम चालू है, वहां पर सारे शहरों का ध्यान करेंगे न कि अकेले झज्जर का, अटेली का और टोहाना का।

श्री अत्तर सिंह सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन शहरों में इंप्रूवमैंट ट्रस्ट ने जो कालोनियां बनायी हुई हैं तो उसमें उस समय के हिसाब से बहुत छोटी सिवरेज डाली हुई हैं, क्या उनको भी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, इनकी यह बात कंसीडर की जा सकती है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने बताया है कि हरियाणा में सिवरेज सिस्टम चालीस शहरों में लागू किया गया है और उनमें कहीं पर तीस या चालीस परसैंट अभी तक काम हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन शहरों में काम चालू किया जा चुका है तो उनमें पूरा काम करने के लिए सैनेटरी बोर्ड ने कितने धन का प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिन शहरों में अभी तक तीस या चालीस परसैंट काम हुआ है और जहां पर कई-कई साल काम चालू किए हो गये हैं तो वहां पर इस काम को पूरा करने के लिए अभी कितना समय और लगेगा और कब तक यह काम पूरा हो जाएगा ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, जैसा मैंने पहले बताया है कि हमारे पास पैसे का अभाव है इसलिए हम ने इस साल यानी 1996-97 में 410 लाख रुपये का प्रावधान सिवरेज को बढ़ाने के लिए रखा है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथी ने कहा कि पौलिटिकल विक्टेमाइजेशन नहीं होता लेकिन हमारे यहां तो 20 साल से 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन भी नहीं पहुंचता। मेरे हल्के के दो गांव फतेहगढ़ और सांतोर ऐसे गांव हैं जहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 लीटर पानी भी नहीं पहुंचता।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे कि सभी गांवों में कम से कम 40-45 लीटर पानी मिले।

Degree College at Julana

***51. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal to open a Degree College at Julana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) "क" के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सवाल छोड़ दिए। These questions have been enlisted in the list of questions. I want to know the procedure.

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य आज हाउस में नहीं हैं और सस्पैंड हो चुके हैं उनके क्वेशचन डिलीट समझे जायें।

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, विगत् 50 वर्षों से हमारे जुलाना में हाई स्कूल है और अब तक 10 जमा 2 स्कूल भी नहीं बनाया गया है। 31 जुलाई 95 को जब चौधरी बंसी लाल जी जुलाना में चुनाव सभा करने आये थे तब उन्होंने कहा था कि यहां से 25 किलोमीटर जींद पड़ता है और 30 किलोमीटर रोहतक पड़ता है इसलिए यहां कालेज बनाने का विचार करेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में जुलाना में कोई कालेज बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी को जो अब तक का प्रस्ताव है उसके संबंध में कहा है। वैसे इस सरकार का यह उद्देश्य है कि शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार करें। अगले वित्तीय वर्ष में हम इस पर विचार करेंगे।

Results of Government Schools

***119. @ Shri Jagbir Singh Malik**
Shri Somvir Singh : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the pass percentage of result of Middle standard, Matric and 10+2 system examination of Government Schools and Private Schools during the year 1995-96 in the State; and

(b) whether it is a fact that the results of Government Schools is lower than that of the Private Schools; if so, the reasons therefor ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) तथा (ख) सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

@ Put by Sh. Jagbir Singh Malik

सूचना

(क) परीक्षा परिणामों की प्रतिशतता इस प्रकार से है :—

परीक्षा का नाम	परीक्षा परिणाम (1995-96)	
	राजकीय स्कूलज़ (प्रतिशत)	प्राईवेट स्कूलज़ (प्रतिशत)
मिडल	44.18	70.70
मैट्रिक	40.28	64.02
10+2	31.81	49.81

(ख) जी हां, राजकीय विद्यालयों में न्यून परीक्षा परिणामों का कारण अध्यापकों की कमी तथा नकल पर अंकुश लगाया जाना है। राजकीय स्कूलों में विद्यालयों के परिणामों को सुधारने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गये हैं :—

1. स्कूलों का निरीक्षण पहले से अधिक तीव्र एवं व्यापक कर दिया गया है तथा अधिक से अधिक स्कूलों का निरीक्षण करने हेतू विशेष अभियान आरम्भ कर दिया गया है। विशेषतः उन विद्यालयों का जिनका परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से कम है।

2. मासिक एवं त्रिमासिक परीक्षाओं की प्रणाली आरम्भ की गई है तथा विद्यार्थियों की प्रगति बारे अभिभावकों को सूचित किया जाता है।

3. अध्यापकों के व्यवसायिक विकास के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है।

4. कक्षावार तथा मासवार पाठ्यक्रम विद्यालयों में वितरित किया गया है।

5. विद्यालयों में आन्तरिक परीक्षा की प्रणाली को एक जैसा बनाया गया है ताकि बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए सही ढंग से तैयार किया जा सके।

6. मूल्यांकन की दृष्टि से निरन्तरता लाने के लिए त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा फलों में शामिल किए जायें।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस सब्जैक्ट के अध्यापक का रिजल्ट खराब आता है उसके खिलाफ आप क्या ऐक्शन लेंगे और जिस सब्जैक्ट के अध्यापक का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उसको क्या इंसैंटिव देने का शिक्षा विभाग का इरादा है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, किसी अध्यापक के खिलाफ कोई कारवाई करने की बात के बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ। जो निरीक्षण का अभियान शिक्षा विभाग ने चलाया है उसके अनुसार ब्लौक एजूकेशन आफिसर तक के अधिकारी एक दिन में कम से कम एक शिक्षण संस्था का निरीक्षण करेंगे उसका यही भाव है कि उससे सारा पता लग जायेगा। जहां तक प्रोत्साहन देने का सवाल है। हमने इस बार हर विषय में एक अध्यापक को स्टेट एवार्ड देने का फैसला किया है। उसका

[श्री राम बिलास शर्मा]

सीधा मतलब यही है कि जिस भी विषय का रिजल्ट अच्छा आयेगा उसी विषय के अध्यापक को यह प्रोत्साहन दिया जाएगा। जबकि पहले हमारे यहां केवल 11 स्टेट एवार्ड दिये जाते थे।

श्री अध्यक्ष : सोमवीर सिंह जी आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री सोमबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रिजल्ट के आधार पर अध्यापकों का प्रोमोशन या उनको एडवांस इंक्रीमेंट देने का ताल्लुक है या नहीं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने ठीक बात पूछी है। बात अध्यापकों को प्रोत्साहन देने की है। यह अच्छी बात है कि अध्यापकों का समय पर प्रोमोशन हो जाये। अध्यक्ष महोदय, जब से पिछले छः महीने से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है अध्यापकों के हर स्तर पर जैसे अध्यापक से लैक्चरर का प्रोमोशन, मास्टर से हैड मास्टर का प्रोमोशन, लैक्चरर से प्रिंसीपल का प्रोमोशन हमने दिया है। आज तक जितने भी अध्यापकों के प्रोमोशन के लम्बित मामले थे उनका निपटारा कर दिया है। इसका संबंध अध्यापकों के स्कूलों के परीक्षा परिणाम से भी है। हमने अध्यापकों का कोई भी मामला लम्बित नहीं रखा है।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भांगल चौधरी के कालेज का सरकारीकरण कब करने जा रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की अनाउंसमैंट करके आये थे और अब यह मामला पंचायत मंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच में है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से संबंधित ही है। जब हम डायरेक्टर एजूकेशन हरियाणा के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि जब तक पंचायत की जमीन कालेज के नाम नहीं हो जाती हम यह कालेज टेक ओवर नहीं कर सकते जबकि पंचायत ने 16 एकड़ जमीन कालेज को देने का रैजोल्यूशन पास कर दिया है। जब हम डायरेक्टर पंचायत के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि कालेज टेक ओवर होने के बाद जमीन एक्चावर होगी। हम कम से कम दस-दस बार इन दोनों विभागों में जाकर आये हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमने मोहनपुर गांव से चार एकड़ जमीन लेकर चारदीवारी का काम चलाया हुआ है तथा 11 कमरे तो चार महीने हो गये तैयार हैं परन्तु इन दोनों महकमों की वजह से यह काम पैंडिंग है। कृपया इसका समाधान किया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने ठीक फरमाया है कि माननीय मुख्य मंत्री ने मई के महीने में कार्यभार संभालने के बाद जब वे महेन्द्रगढ़ गये तो भांगल चौधरी के प्राईवेट कालेज को सरकार के अधिग्रहण में करने की अनाउंसमैंट की थी। लेकिन आप जानते हैं कि किसी प्राईवेट संस्था को सरकार के अधीन लाने में कुछ कागजी कार्यवाही होती है उसमें समय तो लगता ही है। मैं माननीय साथी को आश्वासन देता हूँ कि इस सप्ताह में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत से जमीन को ट्रांसफर क्यों नहीं करा रहे हैं। 16 एकड़ जमीन हमने मुश्किल से पंचायत से ली है और तीन महीने से यह मामला पैंडिंग पड़ा है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, इस सप्ताह सारी प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा गहलावत : अध्यक्ष महोदय, आजकल शहरों व गांवों में जगह-जगह पर प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। यह बात तो ठीक है कि उनमें शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल

बच्चों से मनचाही फीस वसूल करते हैं। क्या मंत्री जी इसमें कुछ सुधार लाएंगे। इन प्राइवेट स्कूल वालों के पास पर्याप्त मैदान भी नहीं होता है, पूरे कमरे नहीं होते हैं और प्रशिक्षित अध्यापक भी नहीं होते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या इनके लिए कोई फीस निर्धारित करने के बारे में सरकार का कोई विचार है और अगर है तो डिटेल में बताएं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहिन जी को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में प्राइवेट संस्थाएं लगातार खुल रही हैं क्योंकि समाज के वर्गों की हैसियत के हिसाब से वे विभिन्न स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ संस्थाएं ऐसी भी खुली हुई हैं, जिनके पास निर्धारित मान्यता के लिए जो कुछ होना चाहिए, वह सब नहीं है। जैसे कि प्लेग्राउंड होना चाहिए, कमरों की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए,बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और प्रशिक्षित अध्यापक उनके पास होने चाहिए। इस प्रकार से कुछ ऐसी संस्थाएं हमारे ध्यान में हैं जिनके पास मान्यता से पहले जो कुछ होना चाहिए वह नहीं है। परन्तु उनके पास मान्यता पहले से ही है। हम उनका भी निरीक्षण करा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें सुधार लाया जाए। इसके अलावा जहां तक फीस निर्धारण की जो बात है। इस समय दो तरह की प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं। एक तो वे संस्थाएं हैं जिनको सरकार अनुदान देती है। इस प्रकार की संस्थाओं में फीस निर्धारण का जो मामला है, उसमें हम हिदायत देते हैं और उसके हिसाब से वे फीस निर्धारित करते हैं। परन्तु कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, जिनको हम अनुदान नहीं देते हैं, वे अपने ही स्तर पर उनको चलाते हैं। यह बात हमारी जानकारी में आई है और हम इसका निरीक्षण करा रहे हैं तथा उनको भी किसी सिस्टम के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री दिलू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का पंजाब के साथ-साथ कम से कम 70 कि०मी० की लम्बाई तक लगता है और उधर कोई भी टीचर जाना नहीं चाहता है। वहां पर यह देखने में आया है कि 400 बच्चों के साथ एक ही टीचर है। इस एरिया में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर टीचर पूरे हों। इसलिए मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे स्वयं जाकर के वहां पर देखें कि 400 बच्चों के लिए केवल एक ही अध्यापक है। अगर ऐसी हालत रही तो शिक्षा का क्या हाल होगा आपको विदित है। इसलिए मेरी पुरजोर प्रार्थना यह है कि इस बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही करने का कष्ट करें और यह भी बताएं कि कब तक वहां टीचर्ज की संख्या को पूरा करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं सदन में बता चुका हूँ और दिलू राम जी को फिर बताना चाहता हूँ कि इस महीने की आखिरी तारीख तक हरियाणा में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जिसमें किसी अध्यापक का पद रिक्त होगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की रिजल्ट्स की प्रतिशतता में बहुत अंतर बताया गया है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि हमारे प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूल हैं वे अधिकतर सी०बी०एस०ई० से एफिलिएटिड हैं। उनका सिलेबस और उनकी परीक्षा का पैटर्न भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड से भिन्न है।यह देखने में आया है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सी०बी०एस०ई० से पास करने वाले विद्यार्थियों से कम होती है। सी०बी०एस०ई० वालों की रिजल्ट्स की प्रतिशतता भी ज्यादा होती है। जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे ही बोर्ड से पास हुए विद्यार्थी हमारी ही संस्थाओं में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं और सी०बी०एस०ई० के विद्यार्थी इस का लाभ उठा लेते हैं। हमारे कांस्टीच्यूशन के डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज में यह है कि सभी को पढ़ने का समान अधिकार मिलेगा।

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri Anil Vij : I am asking question, Sir. अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सभी को पढ़ने का समान अधिकार है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा में कोई ऐसा नियम बनाने पर विचार कर रहे हैं कि हरियाणा में हमारे विद्यार्थियों को एक जैसा सिलेबस पढ़ने को मिले और एक जैसी ही प्रणाली से गुजर कर वे परीक्षा पास कर सकें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि सी०बी०एस०ई० और हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के स्तर में कोई विशेष अंतर नहीं है। परन्तु अभी पिछले दिनों गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने सभी प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था उस सम्मेलन में हमने यह सुझाव दिया था कि सारे देश में परीक्षा लेने की जो व्यवस्था या विधान है वह एक हो जाए ताकि जो टीचर्ज के ट्रांसफर्ज होते हैं उनके बच्चों को कोई दिक्कत न आए। इस सुझाव के बारे में विचार करेंगे लेकिन यह इस सत्र से नहीं हो सकता।

श्री जगदीश नैयर : स्पीकर साहब, मेरे क्षेत्र में एक होडल कालेज है। उसमें मैं भी पढ़ा हूँ। मैंने उस कालेज में उस समय पूरे पांच साल तक पूरे लैक्चरर्ज नहीं देखे । उस कालेज में जो साईंस की क्लास चालू की गई थी उसको खत्म कर दिया गया। साईंस की क्लास को स्टूडैंटस की कमी की वजह से खत्म नहीं किया गया बल्कि लैक्चरर्ज की कमी की वजह से खत्म किया गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस कालेज की साईंस की क्लास लैक्चरर्ज की कमी की वजह से खत्म क्यों किया गया।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, जैसा मैंने कहा कि हमने पूरे शिक्षा विभाग का रैशनेलाइजेशन करवाया है उसमें अध्यापक भी हैं और बच्चे भी हैं लेकिन जिस महाविद्यालय की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उस कालेज की हमारे समय में कोई भी क्लास अध्यापकों की कमी की वजह से खत्म नहीं की गई है। हमने रैगुलर अध्यापकों की अप्वायंटमैंट के लिए 7.11.96 को विज्ञापन दिया है। हमने वह विज्ञापन प्राइमरी स्कूलों से लेकर महाविद्यालय के अध्यापकों की अप्वायंटमैंट्स के लिए दिया है। उस विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी होने में जो समय लगेगा उतने समय के लिए हम एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के माध्यम से कंसौलिडेटिड पे पर अध्यापक रख रहे हैं। कहीं पर भी अध्यापकों की कमी नहीं रहेगी।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर साहब, मैंने परसों एक सवाल पूछा था उसका जवाब रह गया था। स्पीकर साहब, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रामकली गांव है वहां पर प्राइमरी स्कूल था लेकिन पिछली सरकार ने उसका दर्जा बढ़ा कर उसको मिडल स्कूल बना दिया था और वहां पर मिडल स्कूल के हिसाब से स्टाफ भी भेज दिया गया था लेकिन रिकार्ड में वह स्कूल अभी तक प्राइमरी का प्राइमरी ही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल ने हरियाणा प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल अपग्रेड किए जिनका रिकार्ड में आज तक दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने ठीक सवाल पूछा है। जब हमने टेक ओवर किया उस समय हमें स्कूलों के अपग्रेडेशन की जो लिस्ट मिली उसके अनुसार न तो स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए धन का प्रावधान था न वे स्कूल अपग्रेड होने के लायक थे, न उनमें कमरों की व्यवस्था थी और न ही बच्चों की संख्या पूरी थी तथा न ही टीचर्ज की व्यवस्था की गई थी। स्पीकर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि वह लिस्ट राजनीतिक कारणों से प्रकाशित की थी इसलिए हम उस लिस्ट

को रैगुलराइज नहीं कर सकते। पिछली सरकार के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने 243 ऐसे स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया जो नार्म्ज को पूरा नहीं करते थे हमने उस लिस्ट को नहीं माना है।

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने हाउस की टेबल पर जो रिटन रिप्लाई रखा है उसमें सरकारी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों के परीक्षाफल में अन्तर दिखाया गया है। पिछली सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अन्दर पब्लिक स्कूल बहुत ज्यादा बनाए उन पब्लिक स्कूल वालों को बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं लेना देना है वह केवल अपनी कमाई कर रहे हैं। पिछली सरकार ने उन पब्लिक स्कूल वालों को सस्ते रेट पर किसानों की जमीनें काट-काट कर प्लाट दिए। उन पब्लिक स्कूलों वालों ने फीस के नाम पर लूट मचाई हुई है। सी०बी०एस०सी० के रूल्ज में प्रावधान है कि इससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती लेकिन वे पब्लिक स्कूल 1500-1500 से लेकर 2000-2000 हजार रूपए लेते हैं और एडमिशन फीस 30 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक लेते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब उनको किसानों की जमीनें लेकर सस्ते रेट पर प्लाट दिए गए हैं तो क्या सरकार का उन स्कूलों की फीस की बढ़ौत्री पर नियंत्रण है या नहीं ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहन कृष्णा गहलावत के जवाब में बताया था और 10.00 बजे मैं इनको भी बताना चाहता हूँ कि इनके ध्यान में ऐसी कोई स्पैसिफिक बात हो तो ये हमारे नोटिस में लायें हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पिछली सरकार के समय में कुछ स्कूलों की अपग्रेड करने की एक लिस्ट जारी कर दी गई जबकि वे नार्म्ज पूरे नहीं करते थे और इस सरकार ने उनको नहीं माना। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जो स्कूल नार्म्ज पूरे करते होंगे, उनको दोबारा से अपग्रेड करने पर विचार करेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : मैं राणा जी से निवेदन करता हूँ कि यदि ऐसे स्कूल इनके ध्यान में हैं जो नार्म्ज पूरे करते हैं तो उन पर हम जरूर विचार करेंगे, यह हमें बता दें।

श्री अध्यक्ष : आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो प्रश्न चल रहा है इस पर मैं थोड़ी सी सूचना लेना चाहता हूँ कि प्राईवेट स्कूलों और गवर्नमैंट स्कूलों के जहां तक टीचर एंड टौट का सवाल है सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या प्राईवेट स्कूलों से कहीं अधिक है। साथ ही साईंस की लैबोरेटरीज, खेल के मैदान भी प्राईवेट स्कूलों से अच्छे हैं फिर क्या कारण है कि गत 15-20 सालों से हरियाणा की ग्रामीण जनता का विश्वास सरकारी स्कूलों से उठता जा रहा है और लोग यह कहते नजर आते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इसी तरह से पढ़ाई होती रहेगी तो ग्रामीण क्षेत्र से कोई बच्चा, इन्जीनियरिंग या मैडिकल कालेज या बी०एस०सी० की परीक्षा पास नहीं कर पायेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बात के प्रति सचेत है क्योंकि हम सभी का ग्रामीण क्षेत्र से संबंध है और जो प्राईवेट संस्थाएं हैं वे एक तरह से कमर्शियल अड्डा बन कर रह गई हैं। आप बड़े शिक्षाविद हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लूक रखते हैं। आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं या करेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक फरमाया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा दी जा रही है उस बारे में लोगों की यह धारणा है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाला बच्चा कम्पीटीशन में नहीं जा सकता और उनके मां-बाप को भी ऐसा लगता है। इस बारे में मेरा यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को लगातार उपेक्षित रखा गया है। दूसरे राजकीय स्कूलों में उन्हीं के बच्चे आते हैं जिनके

[श्री राम बिलास शर्मा]

माता-पिता गरीब हैं और वे बच्चे आते हैं जिन्हें स्कूल के बाद अपने घर का काम और पशु आदि चराने का काम भी करना होता है। कहने का मतलब यह है कि मजदूरों या गरीब लोगों के बच्चे ही अधिकतर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। इसलिए उनकी तुलना प्राईवेट स्कूलों से की जाती है। दूसरा कारण यह है कि हर क्षेत्र में प्राईवेटनाईजेशन का रुझान बढ़ रहा है। हम इस दिशा में एक पग उठा रहे हैं कि हर जिला स्तर पर एक आदर्श विद्यालय स्थापित करेंगे ताकि उनमें ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको अच्छी तरह से विकसित कर सकें।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार टीचर्ज़ की ट्रांसफर के बारे में क्या पोलिसी बनाने जा रही है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने 11 मई, 1996 को शपथ ली थी और उस वक्त विद्यालयों में छुट्टियों का समय आने वाला था। हम इस दिसम्बर के महीने में अध्यापक साथियों के साथ बैठकर इस बारे में पड़ौसी प्रान्तों की जो पालिसी है उसका अध्ययन करेंगे हम कोशिश करेंगे कि ऐसी नीति निर्धारित की जाए जिससे अध्यापकों को सुविधा हो और शिक्षा का स्तर भी सुधरे।

तारांकित प्रश्न संख्या : 100

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री सिरी कृष्ण हुड्डा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Recruitment of Constables

***105. Shri Birender Singh** : Will the Home Minister be pleased to state whether there is any shortfall in the representation of Scheduled Castes and Backward Classes in the recruitment of Police Constables made during the last 5 years; if so, the time by which it is likely to be wiped off ?

Home Minister (Shri Mani Ram Godara) : There is no shortfall in the representation of Backward Classes in the recruitment of Police Constables made during the last 5 years. However, there is a shortfall of 471 in the representation of Scheduled Castes in the recruitment of Police Constables made during the last 5 years which also includes shortfall of 337 prior to 1991.

Efforts shall be made to wipe off the shortfall in the representation of Scheduled Castes in the Police when fresh recruitment is undertaken. At present, it is not possible to intimate the time frame within which the shortfall in the representation of Scheduled Castes in the recruitment of Police Constables shall be wiped off as the Police Rules under which recruitment is made, have been quashed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court and the matter is pending before Hon'ble Supreme Court of India.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कांस्टेबल्ज की लास्ट रिक्रूटमैंट शायद 1995 में हुई थी क्या उस रिक्रूटमैंट के सिलसिले में कुछ लोग हाईकोर्ट में गये तथा क्या हाई कोर्ट ने उस रिक्रूटमैंट को स्ट्राईकडाउन कर दिया और हाईकोर्ट द्वारा इस रिक्रूटमैंट को स्ट्राईकडाउन करने की क्या वजह रही। उन लोगों ने जो हाईकोर्ट में गये थे क्या यह इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि पुलिस की भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं और हम यह चाहते हैं कि उसकी जांच सी०बी०आई० से करवाई जाए। हो सकता है इस परिस्थिति में राज्य सरकार भी इससे सहमत हो। स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में उन अनियमितताओं के आधार पर हाईकोर्ट ने उस रिक्रूटमैंट को स्ट्राईकडाउन किया था क्या वे उससे सहमति रखते हैं कि इस सारी रिक्रूटमैंट की जांच सी०बी०आई० से करवाई जाये।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मेरे आनरेबल साथी ने जो सवाल पूछा है उसकी बाबत में फिगर्ज के बारे में तो कुछ नहीं कहता लेकिन हरियाणा का हर आदमी यह जानता है कि हरियाणा के अन्दर 1991 से लेकर 1995 तक जो रिक्रूटमैंट हुई है या मार्च, 1995 तक जो रिक्रूटमैंट की गई है उसमें क्या हुआ। आनरेबल मैम्बर श्री बीरेन्द्र सिंह ने 1995 की रिक्रूटमैंट की बाबत प्रश्न पूछा है जो रिपोर्ट आम पब्लिक में है, हमारे डिपार्टमैंट में है और जो रिपोर्ट हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में देने की कोशिश की है वह साफ ज़ाहिर करती है कि इसमें क्या हुआ। रोहतक रेंज के डी०आई०जी०, बी०एन०राय ने इस बारे में 3 लैटर्ज़ लिखे हैं और उन्होंने उस वक्त के पोलिटीशियंज पर, उस वक्त के हाई आफिसर्ज पर खुले इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरे नोटिस में आने के बाद मैंने इन्क्वायरी में यह पाया है कि पुलिस भर्ती के अन्दर कम से कम हर सिपाही से 70 हज़ार रुपए रिश्वत के लिए गए हैं। उसमें एस०पी०, डी०जी० और पोलिटिशियन का हैड शामिल हैं। यह जो 70 हज़ार रुपए हैं ये 6 हज़ार 741 सिपाही जो भर्ती हुए हैं उनसे लिए गए हैं। इसका हिसाब लगाया जाए तो यह काफी पैसा बैठता है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, प्रश्न काल में आज तक प्वायंट आफ आर्डर नहीं हुआ है। आप बैठ जाएं (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितना लम्बा सवाल पूछा गया है, मैं उतना ही लम्बा जवाब दूंगा। यह जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें बी०एन०राय ने मिस्टर सहगल के खिलाफ शिकायत की और इसकी इन्क्वायरी के०के० जुत्सी कर रहे हैं। इस इन्क्वायरी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जुलाई, 1995 को उन्होंने 3 लैटर लिखे कि मुद्दा क्या है। इस भर्ती में कुटेल के बलवीर का काम सतबीर सिंह बिचौलिए ने किया है, एक सब-इन्सपैक्टर सी०आई०ए० का है वह भी बिचौलिए का काम करता रहा। डी०जी० और पोलिटिसियनज़ की लिस्ट भी बिचौलियों के थ्रू आती रही। अध्यक्ष महोदय कम से कम 70 हज़ार रुपए रिश्वत एक सिपाही के हिसाब से लिया गया। अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 44 करोड़ रुपये बनते हैं। जैसे माननीय बीरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि उनके वक्त में मुख्य मंत्री जी कहते थे कि फलाने चार का कोटा तेरा, दो का कोटा तेरा है और बाकी का जो कोटा बचा वह कोटा उनका है। थोड़ा बहुत कोटा उनको देते और उसके अलावा जो कोटा बचा वह मुख्यमंत्री का हो गया।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमने नहीं कहा। यह तो उन लोगों ने कहा जो कोर्ट में गए थे। यह उनकी मांग थी कि सी०बी०आई० से इन्क्वायरी करवाई जाए। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस बारे में सी०बी०आई० से इन्क्वायरी करवाएगी।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में सोच लेंगे। अभी हमारी सरकार द्वारा इन्क्वायरी हो रही है। अगर उसके बाद जरूरत पड़ी तो सी०बी०आई० से भी इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐलिगेशन लगाया है। मैं उस बारे में कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : You may ask supplementary question. (Noise & Interruptions) I have allowed first Mr. Jai Singh Rana.

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी ने ऐसी बात कह दी कि पिछले राज में जितनी भर्ती हुई है वह सभी पैसे लेकर हुई है। भर्ती की फिगर बताई और उसकी रिश्वत का टोटल अमाउन्ट बताया। मैं इस सदन में दावे के साथ कहता हूँ कि .....

Mr. Speaker : Mr. Rana, you may ask only supplementary question.

श्री जयसिंह राणा : सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मेरे नीलोखेड़ी क्षेत्र में पिछले पांच सालों के अंदर जितनी पुलिस की भर्ती हुई है उनमें अगर कोई भी यह साबित कर दे कि किसी कैंडीडेट से रिश्वत का एक भी पैसा लिया गया है तो आप हमें बता दें। या तो सरकार इसकी इंक्वायरी करवा ले वरना किसी पर इस प्रकार के ऐलीगेशन न लगाए।

श्री अध्यक्ष : आप स्टेटमैन्ट न दें बल्कि सवाल पूछें।

श्री जयसिंह राणा : स्पीकर सर, सभी तरह के सदस्य होते हैं और सभी तरह के लोग हैं इसलिए इनको ऐसे ही ऐलीगेशन नहीं लगाने चाहिएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय भजन लाल जी से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वे कृपया चेयर को गाईड करने की कोशिश न करें क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी जानता हूँ और उनको भी अपनी ड्यूटी जाननी चाहिए। मंत्री जी ने जवाब दिया है अगर आप इस पर कोई बात कहेंगे तो मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आनरेबल मैम्बर के सवाल के जवाब में जो बात कही थी वह मैंने उस चिट्ठी के हवाले से कही थी जिसमें डी०आई०जी० ने यह इल्जाम लगाया था। उस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि इसके अंदर पोलिटिशियन और सीनियर पोलिटिशियन इन्वाल्वड हैं। मैंने किसी पर्टीकुलर आदमी या किसी पर्टीकुलर कांस्टीच्यूंसी का नाम नहीं लिया बल्कि मैंने तो यह कहा है कि उस वक्त ये ये चीजें हुई हैं। हो सकता है इन्होंने पैसा न लिया हो लेकिन मैंने तो केवल उस वक्त की बात ही कही है। Here is a letter with me written by a very senior officer of the Police at that time. अगर आप कहें तो मैं वह लैटर आपको पढ़कर सुना दूं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब से मैं क्वैश्चन तो क्या पूछूं क्योंकि यह सीधा जवाब तो देते नहीं हैं। इनको तो भजन लाल के नाम से फोबिया हो गया है क्योंकि इनका यह कहना कि प्रत्येक सिपाही से 70 हज़ार रुपये रिश्वत ली गई, इसमें पोलटिशियन भी शामिल हैं तथा स्टेट का हैड भी इसमें शामिल है, ठीक नहीं है। आप इस बात की सी०बी०आई० से इंक्वायरी करवाएं। मैं आपको इसके लिए आफर करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, झगड़ा डी०आई०जी० और डी०जी० का आपस का था। साथ ही जो आदमी यहां पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता उसका यहां पर नाम लेना मुनासिब बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे क्वैश्चन यह है कि ये सी०बी०आई० से इसकी जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बड़ी भारी इस बात की खुशी होगी।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में सी०बी०आई० जो इंक्वायरी कर रही है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। (विघ्न)

श्री भजन लाल : आप उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते जो बाम्बे में हुआ। जगदीश टाईटलर ने जमीन अलॉट कर दी। आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठिए।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, शायद मेरा उसको नाम याद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मनीराम गोदारा सही बात कहता है। जो बात मेरे कागजों में है मैं वही कह रहा हूँ। ये सरकार की फाईलों के कागज आपके समय से ही चले आ रहे हैं। ये कागज मैंने नहीं बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैं इन कागजों की बिना पर ही कहता हूँ और यह जो कहते हैं कि मुझे फोबिया हो गया है तो मैं कहता हूँ कि मुझे फोबिया नहीं हुआ है बल्कि यह सारे का सारा माल नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ही है तो फिर मैं कैसे कह दूं।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में मैंशन किया है कि कांस्टेबलूज की जो भर्ती हुई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूँ कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिस भर्ती की वैधता और अवैधता के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो तो क्या उस पर सदन में इस प्रकार की चर्चा हो सकती है?

श्री मनीराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय बहिन जी की नौलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस पैंडिंग था उसे सरकार ने वापस ले लिया है। हाई कोर्ट ने सारी की सारी भर्ती रिजैक्ट कर दी थी। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : आपने अपने रिप्लाई में यह बात कही है।

श्री मनी राम गोदारा : मैंने यह कहा था कि संविधान के आर्टिकल 309 में यह था कि भर्ती रूल्ज के मुताबिक नहीं की गई है इसलिए उसको कैंसिल किया है।

श्रीमती करतार देवी : जहां तक मेरी जानकारी है उसमें कोई इल्जाम इस प्रकार का नहीं है कि भर्ती में पैसे की करप्शन हुई है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमैंट मत दीजिए। क्वैश्चन पूछिए।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर सर, मैं क्वैशचन ही पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने वह अपील वापस ले ली है।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, किसी भी अदालत के अंदर भर्ती के मामले में यह इल्जाम नहीं लगाया जाता कि भर्ती पैसे लेकर के की गई है। उसमें यह इल्जाम लगाया जाता है कि proper procedure was not adopted. Improper procedure, appointing any body by taking money, also comes.

श्री हरमिन्दर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहां सी०एम० साहब चौधरी भजन लाल जी के भाई भतीजे रहते हैं। जो इस मामले में शामिल थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिए।

श्री हरमिन्दर सिंह : मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि क्या उनके खिलाफ हमें केस दर्ज करवाने की इजाजत है जिन्होंने हज़ारों रुपये अभी तक वापिस देने हैं और सैंकड़ों का इल्जाम चल रहा है। दो के खिलाफ केस रजिस्टर हो चुके हैं क्या उन पर मुकद्दमा कराने के लिए यह सरकार तैयार है ?

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूँ कि हमारे सामने ज्यों-ज्यों पैसे लेने की शिकायतें आई, हमने कार्यवाही की और कुछ लोगों ने डर से पैसा वापस भी कर दिया, कुछ की शिकायतें भी हुई, उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हुए, गिरफ्तारियां भी हुई। जैसा कि आदरणीय सदस्य ने पूछा है कि were those persons bank of corruption. फतेहाबाद की नंबर 8 दुकान जो है, that was bank of corruption for the recruitment of police constables.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पुलिस की भर्ती की जिस प्रणाली से आप संतुष्ट नहीं थे उसके कारण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस विदड्रा कर लिया। क्या इस पद्धति को सुधारने के लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि जैसे पहले जिलों में भर्ती होती थी और जितने सिपाही भर्ती करने होते थे उतने की भर्ती हो जाती थी। एच०ए०पी० की भर्ती एच०ए०पी० सैन्टर में होती थी। यह जब से सारी की सारी भर्ती एक जगह ही होने लगी तब से ये अनियमितताएं होने लगीं। जिले की भर्ती जिले में हो और एच०ए०पी० की भर्ती एच०ए०पी० सैन्टर पर हों क्या ऐसी कोई स्कीम या प्लान आपने बनायी है?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर महोदय, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है वह बड़ा वाजिब सवाल है। पहले चौधरी बंसी लाल के राज में जब भी भर्ती होती थी मेला लगता था और जो बैस्ट पोसीबल आदमी मिलता था मैरिट के बेसिज पर उसी को चुना जाता था। मैं आनरेबल मैम्बर को विश्वास दिलाता हूँ कि नई भर्ती जब भी होगी उसके अंदर हम वही क्राइटेरिया एडौप्ट करेंगे।

श्री अतर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पुलिस में भर्ती करने का जिक्र पहले हुआ है उसमें हरिजन या बैक्वर्ड क्लास के जो उम्मीदवार हैं उनके शारीरिक माप, शिक्षा और आयु में क्या कोई छूट है या नहीं ?

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत जो पुलिस रूल्ज हैं उन्हीं कायदे कानून के तहत जैसी प्रक्रिया होगी उसके मुताबिक चाहे कोई शिड्यूल्ड कास्ट का हो या बैकवर्ड क्लास का हो उसको हम मैरिट के आधार पर लगाएंगे। मैं आनरेबल मैम्बर को बता दूं कि उन्हें अच्छी तरह से याद होगा जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय भर्ती हुई थी तब एस०सी० का कोटा 20 परसेंट था जबकि चौधरी बंसी लाल जी ने पुलिस की भर्ती के लिए एस०सी० का कोटा बढ़ाकर 30 परसेंट कर दिया था। वह इसलिए किया था कि जो पीछे की कमी है उसको पूरा किया जाए। चौधरी भजन लाल जी की सरकार में कुल 6441 कांसटेबलों की भर्ती हुई है उनमें शिड्यूल्ड कास्टस के 371 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं। मुझे अचम्भा होता है कि इन्होंने पुलिस

की भर्ती करते समय कौन सा क्राईटेरिया रखा था, जिले के हिसाब से या कम्यूनिटी के हिसाब से। ये कहते हैं कि इस बात को साबित करो। कल स्वास्थ्य मंत्री जी बता रही थी कि मेवात ऐरिया में होमोग्लोबिन की कमी है तभी मेवात के लोग पुलिस में भर्ती नहीं हो सके। भजनलाल जी के शासन काल में मेवात एरिया के कुल 60 पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सत पाल सांगवान जी आप बोलिए।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो 400 के करीब पुलिस के कांस्टेबल टर्मीनेट हुए थे उनके बारे में यह सरकार क्या विचार करेगी।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर महोदय, उनके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके ठीक फैसला लेंगे क्योंकि इस बारे हमारी पार्टी के मैनीफैस्टो में भी यह बात थी कि पिछली सरकार की ज्यादतियों की वजह से जिन सिपाहियों को नाजायज तौर से बरखास्त किया गया है उनको बहाल करेंगे। इस मामले में सोचविचार कर रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस ढंग से पिछली सरकार के शासन काल में पुलिस भर्ती क्वालीफाईड तरीके से नहीं हुई तो क्या इससे पहले जिन-2 मुख्य मंत्रियों के काल में जो भी इसी तरीके से बगैर क्वालीफाईड तरीके से भर्ती हुई हैं उनके बारे सरकार क्या कार्यवाही करेगी और क्या सरकार हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हैं उनके आधार पर अगली भर्ती करेगी ?

श्री अध्यक्ष : सदस्यगण, अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

Releasing of Tubewells Connections

***141. Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has formulated any policy to release electricity connections to tubewells and other categories within 24 hours after submitting the applications for the said connection ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : No, Sir.

Disbursement of Compensation

***166. Shrimati Kartari Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that land in village Pilana has been acquired for the construction of Bas-Minor; and

(b) if so, whether the compensation for the said land has been given to the affected farmers, if not, the reasons thereof, together-with the time by which the said compensation is likely to be given to

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a & b) No sir. The land compensation has not been given to the affected farmers so far. Land acquisition process under Section 4 & 6 was completed in 1986-87. Land payment could not be made at the time due to shortage of funds within the validity period of 2 years, after the issue of notification under Section 6 of Land Acquisition Act. In the circumstances that process of acquisition has been nullified. Fresh Land Acquisition Papers under Section 4 were notified in June, 1996 and the Land Acquisition papers under Section 6 are under process.

Acute Shortage of Drinking Water

***173. Shri Dev Raj Diwan :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether it is a fact that there is a acute shortage of drinking water in District Sonepat and particularly in Sonepat City; if so, the steps so far taken or proposed to be taken to provide adequate supply of drinking water to the aforesaid areas ?

"JAGAN NATH D.O. Letter No. 261-DM-96

Development Panchayats,Public Health
& Parliamentary Affairs Minister,
Haryana, Chandigarh.

Dated 20-11-1996.

Subject : Starred Assembly Question No. 173, asked by Shri Dev Raj Diwan, M.L.A.

Sir,

Reference your U.O.No. QB-1/19553, dated 16.11.96 on the above noted subject.

2. In the question detailed information regarding shortage of drinking water in District Sonepat has been asked for which a detailed survey for rural as well as urban areas is required to identify the villages or the localities of the towns. Field offices have been directed to undertake the survey and furnish a factual status report.

3. In view of the above fact, it is requested that 10 days time be granted for furnishing the factual position.

Yours sincerely,
Sd/-
(Jagan Nath)

Prof. Chhattar Singh Chauhan,
Speaker
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh."

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Constrution of Pucca Rivulet

12. Shri Kailash Chander Sharma : Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a pucca rivulet in Narnaul city.

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : जी हां, इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई है।

Opening of Polytechnic for Women

13. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Governement Polytechnic for Women in Village Sihi, Sector 8, Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(ए) जी हां, कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं, यद्यपि यह कक्षाएं फरीदाबाद में नहीं चल रही हैं।

(बी) सत्र 1995-96 तथा 1996-97 में छात्रों को प्रवेश दिये जा चुके हैं, और इनकी गैस्ट क्लासिज़ राजकीय महिला बहुतकनीकी, सिरसा में चलाई जा रही हैं। अपेक्षित भवन की विस्तृत ड्राईंगज तथा डिज़ाईन लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) द्वारा तैयार की जा रही हैं और भवन-निर्माण उपरान्त नियमित कक्षाएं सैक्टर-8, फरीदाबाद में ही शिफ्ट कर दी जायेंगी।

Opening of Engineering College at Faridabad

14. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minster for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Engineering College at Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) :

(ए) जी, नहीं।

(बी) क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए समय निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Opening of Agricultural College

15. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Agricultural College in Mewla Mahrajpur Distt. Faridabad ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Plying of Buses

20. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce more bus service from Faridabad to Delhi, Noida, Gaziabad and Modi Nagar ?

परिवहन मंत्री (श्री भारायण सिंह) : हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद से नोएडा, गाजियाबाद तथा मोदी नगर के लिए इस समय कोई सीधी बस सेवा नहीं चला रहा है। किन्तु फिर भी इन स्थानों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसें देहली के रास्ते से होती हुई, कवर करती हैं और इन रूटों पर बस सेवाओं की मांग के दृष्टिगत वर्तमान सेवाएं पर्याप्त हैं। अतः इस समय इन स्थानों के लिए और बसें चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देहली और फरीदाबाद के मध्य हरियाणा राज्य परिवहन की अनेक बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इस समय इन सेवाओं में और बढ़ौतरी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशेषाधिकार भंग के प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा के विशेषाधिकार कानून के बारे में नोटिस देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप कौन से रूल के तहत नोटिस दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठिए।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : स्पीकर सर, यह बहुत जरूरी मामला है।

श्री अध्यक्ष : अब जीरो आवर शुरू हो चुका है। इसलिए मैंने आपको जीरो आवर में बोलने की अनुमति दी है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 21-11-96 को विधान सभा सत्र के दौरान हुई अप्रिय घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Please listen to me. That notice has been ruled out of order. Please take your seat. यह रूल आउट हो चुका है।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह उचित नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से एक एडजर्नमेंट मोशन दी गई थी कि रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी में कैनाल वाटर नहीं है और वहां पर किसान बिल्कुल ट्यूबवैल्ज पर निर्भर हैं।

Mr. Speaker : Listen to me. That has been disallowed.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और भिवानी के कुछ क्षेत्र में ट्यूबवैल्ज की बिजली के दाम पर 42 रुपये से 65 रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह, 360 रुपये से 540 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष और 0.30 पैसे के मीटर्ड बिल्ज पर सबसिडी खत्म कर दी है। वहां पर कैनाल वाटर बिल्कुल नहीं है और इस प्रकार से वहां पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में सरकार ध्यान दे ताकि किसानों के साथ अन्याय न हो सके।

Mr. Speaker : Please take your seat. That has been disallowed.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि पिछले 5 दिन से इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए कृपा करके आज तो इस पर डिस्कशन करने की इजाजत आपको देनी ही चाहिए।

Mr. Speaker : Please take your seat. मैं कैप्टन साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह मोशन डिसअलाऊ की जा चुकी है। Now the question comes to an end.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी काल अटैंशन मोशन रिवाड़ी के सीवरेज सिस्टम के बारे में थी। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर शक्ति नगर, कुम्बावास इत्यादि स्थानों में गंदा पानी फैला हुआ है और भयंकर बीमारी फैलने का अंदेशा है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर सीवरेज के डिस्पोजल के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया एक सैकिंड आप बैठिए। कृपया आप यह बताएं कि आप किस काल अटैंशन मोशन पर बोलना चाहते हैं ताकि मैं उसका जवाब तो दे सकूं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी 6 काल अटैंशन मोशन थीं जिनमें से 4 तो डिस्अलाउ कर दी गई हैं। मेरी एक काल अटैंशन मोशन रिवाड़ी शहर के सीवरेज के डिस्पोजल के बारे में थी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ? वहां पर भयंकर बीमारियां फैलने का डर है। (शोर)

एक आवाज : आपकी बात का जवाब आपको मिल गया अब तो आप बैठ जाएं। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इन ट्रेजरी बैंचिज वालों पर भी आप कंट्रोल करें ये कौन होते हैं मुझे बोलने से रोकने वाले। आपने मुझे बोलने का समय दिया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों का बोलने का उतना ही अधिकार है जितना आपका है। आप उनको बोलने दें। कप्तान साहब मैंने आपका यह काल अटैंशन मोशन कमैंट्स के लिए गवर्नमैंट को भेजा हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मेरा काल अटैंशन मोशन बहुत जरूरी है उसका जवाब आना चाहिए। आज हाउस का आखिरी दिन है यदि उसका जवाब सरकार ने नहीं देना है तो ये मुझे उसका रिटन रिप्लाई भेज दें। उस क्षेत्र में मलेरिया फैलने का अंदेशा हो रहा है। वहां पर सीवरेज का गंदा पानी फैल रहा है। सीवरेज का गंदा पानी जे०एल०एन० नहर में जा कर मिक्स हो रहा है। आज पांच दिन हो गए हैं आज तक यह सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई है। स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं।

Mr. Speaker : Capt. Sahab, it has been sent to the Government for comments. (Interruptions).

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, सरकार के कमैंट्स कब तक आ जाएंगे। यदि सरकार उसका जवाब आज नहीं दे सकती तो मुझे रिटन में भेज दे।

Mr. Speaker : Capt. Sahab, you please take your seat. (Noise & Interruptions). Capt. Sahab, I have seen the file, your call attention motion has been disallowed.

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : स्पीकर साहब, मैंने विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव दिया था उसका क्या फैसला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उसका यह फैसला है कि वह रूल आउट हो गया है। (शोर)

वाक आउट

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : स्पीकर साहब, मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

श्रीमती विद्या बैनीवाल : स्पीकर साहब, मैं भी वाक आउट करती हूं। (इस समय समता पार्टी के माननीय सदस्य श्री सिरी कृष्ण हुड्डा और श्रीमती विद्या बैनिवाल सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो यह प्रिविलेज मोशन है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न -

(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a notice of question of alleged breach of privilege against Shri Bhajan Lal, M.L.A. for making a press statement in the Press Lobby Lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malacious motive in order to lower down the dignity of the Chair. I hold the matter proposed to be discussed

in order and the Parliamentary Affairs Minister may ask for leave to raise the alleged breach of privilege against Shri Bhajan Lal, M.L.A.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I want to raise a question of breach of privilege against Shri Bhajan Lal, Leader of the Congress Party who has made a press statetment in the Press Lobby Lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malacious motive in order to lower down the dignity of the Chair. I have already attached the copy of the Press statement dated 22-11-1996 appeared in Indian Express with the notice given to the Hon'ble Speaker.

Sir, the reflection on the impartiality conduct and character of the Speaker in the discharge of his duties, is a matter of breach of privilege of the House and it requires the intervention of the Assembly and the matter is of recent occurrence. I, therefore, request that the matter may kindly be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of next session.

Sir, I also request that the leave to raise the question of alleged breach of privilege be granted.

Mr. Speaker : Now I would request the Members who are in favour of leave being granted to rise in their places. (At this stage all the members of the Treasury Benches rose in their places)

Mr. Speaker : Since the number of such members is more than 15, the leave is granted.

Now the Parliamentary Affairs Minister may move the motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Development & Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move-

> That the matter in regard to the casting of reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks against him by Shri Bhajan Lal, M.L.A. and the Leader of the Congress Party in his press statement published in the Indian Express of today i.e. 22-11-1996 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next session.

Mr. Speaker : Motion moved -

> That the matter in regard to the casting of reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks against him by Shri Bhajan Lal, M.L.A. and the Leader of the Congress Party in his press statement published in the Indian Express of today i.e. 22-11-1996 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next session.

श्री भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर कल का सारा माहौल आपने भी देखा और हमने भी देखा। जिस तरह से कार्यवाही की गई वह बहुत ही खेदजनक है। मैं अभी भी हाउस में कहता हूं कि खेदजनक इसलिए है कि आप हमारे सब के कस्टोडियन हैं। आपको हम सब ने यूनानीमसली स्पीकर चुना है। किसी एक पार्टी ने आपको नहीं चुना। (विघ्न) आप सुनने की कृपा करें। रिकार्ड की बात है, यूनानीमस चुना है बड़े भारी फख्र से। (विघ्न) स्पीकर साहब, ये लोग बीच में बोल रहे हैं अगर आप कहें तो बैठ जाऊं।

Mr. Speaker : I request all the members that there should be no interruptions. Let him speak.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा सम्मान है हमारे दिल में आपके प्रति। लेकिन बड़े दु:ख के साथ हमें कहना पड़ता है, मैंने कल भी कहा था और आज भी बहुत भरे मन से और दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हों और उस पर भी आप कह दें कि बैठ जाओ। आप सुन करके तो कह सकते हैं कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, पहले नहीं कह सकते कि बैठ जाओ। प्वायंट आफ आर्डर पर कोई एक आदमी खड़ा है और उसको बोलने न दिया जाए तो हम अपनी बात कहने के लिए कहां जाएंगे। कौन सी जगह कहेंगे हम अपनी बात ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, मैंने पूरा मौका दिया, पूरा मौका दूंगा। लेकिन जब कोई आदमी बोले ही नहीं और उससे पहले आप प्वायंट आफ आर्डर कहें तो आप मुझे समझा दें कि प्वायंट आफ आर्डर किस बात पर करेंगे।

श्री भजन लाल : मैं आपको बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल भी आपसे कहा था कि प्वायंट आफ आर्डर पढ़ कर आएं। जब तक कोई न बोले और आप प्वायंट आफ आर्डर कहें तो मैं समझता हूं कि आप जैसे बहुत लम्बे पोलिटिकल कैरियर वाले आदमी को थोड़ी सी जिम्मेवारी से काम लेना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम चौधरी भजन लाल को रूल्ज की कापी दे देते हैं। ये जरा उसको सदन में पढ़कर सुना दें। (विघ्न)

श्री भजन लाल : चौधरी बंसी लाल जी इतना घमण्ड आपको नहीं होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : घमण्ड बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक कापी भिजवा देता हूं, आप पढ़ कर सुना दें।

श्री भजन लाल : यह तो मैं आपको पढ़ा दूं, आप मुझे कहते हो पढ़ने की बात। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : इनकी पढ़ाई हुई किताबें फट गई।

श्री भजन लाल : जो आदमी 12 साल मुख्य मंत्री रहा हो इस प्रदेश का, 10 साल से ज्यादा इस देश के अन्दर मंत्री रहा हो, क्या बात करते हो ? आप राजी हो तो इसी बात को लेकर। आप राजी हो रहे हो कि हमने इनको निकाल दिया। आज इतना बड़ा अपोजीशन जिसके 22 मैम्बर हैं और वे हाउस में न हों, आप हाउस चलायें। हम सब वाक आउट करके गए और आप बिल पास करें, क्या उन बिलों की वैल्यू है। (विघ्न) बगैर अपोजीशन के सरकार कोई काम करे, क्या वह मुनासिब है। (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। श्री भजन लाल जी आपकी इजाजत से इस बात पर बोलने के लिए खड़े हुए थे कि whether this motion is correct or not

स्पीच देने के लिए, आपको सबक सिखाने मुख्य मंत्री को सबक सिखाने या हमें पढ़ाने के लिए आपने इजाजत नहीं दी थी। इनसे आप कहिए कि ये उसी चीज पर बोलें जिसकी जरूरत है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Yes, Mr. Bhajan Lal please come to the point.

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं प्वायंट पर ही बात करूंगा। आप जानते हैं कि चौधरी बंसी लाल जी जब यहां पर बैठते थे तो ये जितनी बार भी बोलने के लिए खड़े होते थे तो हम कहते थे कि इन्हें बोलने दो। हमने एक दफा भी नहीं कहा कि ये न बोलें। (विघ्न) राम बिलास शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, इन्हें भी इस बारे में पता है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, ये तो यहां तक करते थे कि हम ऑन प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर खड़े रहते थे * * * * * * * * (विघ्न) कर्ण सिंह दलाल और छतरपाल सिंह को हाउस से निकाल कर बाहर बैरिकेड्ज़ के पास भी आने तक की पाबन्दी लगा दी। स्पीकर साहब, तब इनको यह पता नहीं था कि उधर भी बैठना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अभी आपने कहा था कि आप इनको पढ़ा रहे हैं। I won't allow any body to utter any unparliamentary word या तो आप इसे वापिस लें वरना यह एक्सपंज किया जाएगा। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मैंने तो मुख्य मंत्री जी को कहा था कि रूल में आपको पढ़ा सकता हूं। इसके अलावा कल हमारे साथ बेइन्साफी की बात हुई थी उस पर हम एज़-ए-प्रोटैस्ट वाक आउट कर गए थे। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब के लिए "बेइन्साफी" का शब्द क्या अनपार्लियामैंटरी तथा हाउस के प्रिविलेज के खिलाफ नहीं है।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, ये आज भी कह रहे हैं This is another breach of privilege. Either it should be deleted or it will be another breach of privilege.

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, यह बहुत खेदजनक और बड़े दुःख की बात है। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा था कि आप एस०एच०ओ० की तरह काम करते हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : इसका क्या मतलब है, वह भी मैं बता देता हूं। एस०एच०ओ० का मतलब थानेदार नहीं है बल्कि एस०एच०ओ० का मतलब स्टेशन हाउस आफिसर है। (विघ्न) हमने तो आपको परमोट किया है। स्पीकर साहब, आपको हाउस का आफिसर बनाया है। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, यह हाउस सियासी लोगों का एक बहुत बड़ा स्टेशन है (विघ्न) स्पीकर साहब, हमने आपको थानेदार नहीं कहा न ही आप थानेदार हैं। इस लफ्ज़ से तो आपको खुशी होनी चाहिए। (विघ्न) आपके खिलाफ कोई भी लफ्ज़ कहना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा इतना ही कहना है कि आप सबके हैं और एक नज़र से सब को देखें। आप किसी एक पार्टी के नहीं हैं बल्कि सब के हैं इसलिए सब को एक समान समझना चाहिए। मैं प्रिविलेज से नहीं डरता, बड़े-बड़े देख रखे हैं। हमने

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री भजन लाल]

कभी भी न तो कोई गलत बात कही है और न आगे कहेंगे। (विघ्न) बंसी लाल जी, रोज-रोज आपका राज नहीं रहेगा। रोज किसी का भी राज नहीं रहता है इसलिए आप मर्यादा से काम लें। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं तो कई बार आ लिया और कई बार जा लिया। इस भाई को गलतफहमी थी कि यह यहीं रहेगा। (विघ्न)

श्री भजन लाल : स्पीकर को आप ऐसे डायरैक्टिव मत करो। अब यह करें, आप यह कहें कि "अभी करो" "फौरन लाओ" यह ठीक बात नहीं है। स्पीकर का अपना रोल होता है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं भी यहां था और आप भी यहीं थे चौधरी भजन लाल जी यहां पर मुख्य मंत्री होते थे। चौटाला साहब को आपने तीन बार अवसर दिया कि वे सदन से उठ कर चले जाएं। तीन दफा आपने सदन को मुल्तवी किया लेकिन ये तो एक मिनट का भी टाईम नहीं देते थे। 50 आदमी उधर से कूद कर आते थे और मौके पर डट जाते थे और धक्का-मुक्की किया करते थे। क्या ये वह दिन भूल गए हैं। (विघ्न) इनको वो दिन भूल गए हैं जब बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता था। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये भी तो 5 साल तक यहां पर थे, इनको एक बार भी स्पीकर ने हाउस से नहीं निकाला। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी जिससे आपको जरा सी भी ठेस पहुंचे। न ही हमारी ऐसी कोई नीयत अब है और न ही आगे भी कभी ऐसी नीयत रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे यही उम्मीद होनी चाहिए कि आप हमें बिल्कुल उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से इनको देखते हैं। आप अकेले इनके बनाए हुए नहीं है। आपको स्पीकर बनाने में हमारा भी कुछ रोल था, यूनैनिमसली स्पीकर होना बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को भी खड़ा कर सकते थे लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये बहुत ही काबिल इन्सान हैं, पढ़े-लिखे इन्सान हैं और बहुत अच्छा इनका तजुर्बा भी है। 5 साल तक विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन कल का जो माहौल हुआ वह ठीक नहीं था। उसकी बात मैंने की थी और वह आपको ठीक नहीं लगी तो मुझे खेद है। हमने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की थी और न ही ऐसी कोई मन्शा थी, फिर भी मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत उदारता दिखाते हुए इस सदन को चलाया है। सत्ता पक्ष के लोग आपके हुक्म को मानते हैं लेकिन चौधरी भजन लाल के राज में ये मुझे सबसे पिछली सीट पर बिठाते थे और जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता था ये बैठे-बैठे मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दिया करते थे। हमें कुछ लोगों ने बताया है कि चौधरी भजन लाल के विदेशी बैंकों में खाते हैं। जब मैं और मेरा साथी प्रो० छत्तर पाल सिंह इनके बैंक के नम्बर पता करके आए और यहां पर बताना चाहा तो हमें बोलने नहीं दिया गया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये गलत बातें कह रहे हैं और "* * * * * * * * बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी ने जो यह शब्द इस्तेमाल किया है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब उस वक्त मैं इनकी बातों को सदन में बताना चाहता था तो ये मुख्य मंत्री जी की सीट पर बैठे-बैठे अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ इशारा करते थे और वे हमें बिना वार्निंग दिए सस्पैंड करा देते थे। यहां पर ये वाच एंड वार्ड के नाम पर पुलिस के आदमी बिठाया करते थे और हमें उनके द्वारा यहां से उठवाकर बाहर निकाल देते थे। इतना ही नहीं इन्होंने हमें पुलिस के आदमियों द्वारा असैम्बली के बाहर ही रोक दिया और पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की। इतना सब करने के बाद भी भजन लाल जी ने हमारे खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कर्ण सिंह दलाल के खिलाफ जो दो मुकद्दमें थे वे वापिस ले लिए हैं और वे मुकद्दमें क्या थे मैं आपको बताता हूं। कोई मुकद्दमा भजन लाल के टाईम का नहीं है बल्कि यह तब का है जब गवर्नर राज हुआ करता था। 1991 में चुनावों के दौरान ये बक्सा लेकर भागे थे, बैलेट पेपर फाड़ दिए थे। यह केस इस गवर्नमैंट ने वापिस लिया है जोकि ठीक नहीं है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

कृषि मंत्री द्वारा

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। अध्यक्ष महोदय ये उन केसों को भूल गए हैं जो इनके खिलाफ थे। मेरे ऊपर तो झूठे मुकद्दमें थे। इनके ऊपर कैलाशो देवी वाला केस था, चोरी का केस था और रेल में बिना टिकट यात्रा करने का केस था। उन केसों को क्या ये भूल गए हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप इनको जो चाहें बोलने के लिए अलाउ करते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें बिठा देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हमें भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए।

अभिकथित विशेषाधिकार भंग का प्रश्न (पुनरास्थ)

Mr. Speaker : Bhajan Lal ji, I have given you time. Please take your seat (Noise & Interruptions).

Now question is-

> That the matter in regard to the casting of relection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks against him by Shri Bhajan Lal, M.L.A. and the Leader of the Congress party in his press statement published in the Indian Express of today i.e. 22-11-1996 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next session.

The motion was carried

(ii) इंडियन एक्सप्रैस के संवाददाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a notice of question of alleged breach of privilege against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express, for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, M.L.A. casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair

[Mr. Speaker]
etc. I hold the matter proposed to be discussed in order and the Parliamentary Affairs Minister may ask for leave to raise the alleged question of breach of privilege against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I want to draw the attention of this august House under rule 261 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly towards Newspaper reporting namely, Indian Express dated 22-11-1996. The copy of the news item of the aforesaid newspaper dated 22-11-1996 has already been attached by me with the notice given to the Hon'ble Speaker.

On the face of it, the news item as stated in the notice contains derogatory remarks which cast serious aspersion on the impartiality, character and conduct of the Chair in discharge of his Parliamentary duties on the floor of the House and this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public.

By writing, publishing and printing the above said article in the aforesaid newspaper, the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express has committed a grave contempt and breach of privilege of this august House, which is a specific matter of recent occurrence.

I request that this matter may be referred to the Committee of Privileges with a direction to examine it and report to the House by the first sitting of next session.

Sir, I also request that the leave to raise the question of alleged breach of privilege be granted.

Mr. Speaker : Now I request those members who are in favour of leave being granted to raise in their places.

(At this stage all the members of the Treasury Benches rose in their places.)

Mr. Speaker : Since the number of such members is more than 15, the leave is granted.

Now the Parliamentary Affairs Minister may move the motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Development & Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move—

> That the matter in regard to the publication of a statement casting & reflection on the impartiality, conduct and character of the Speaker by the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express and which contains derogatory remarks and cast serious aspersions on the Chair in the discharge of his Parliamentary duties on the floor of the House and this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public published today i.e. 22-11-96 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st Sitting of the next session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the matter in regard to the publication of a statement casting reflection on the impartiality conduct and character of the Speaker by the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express and which contains derogatory remarks and cast serious aspersions on the Chair in the discharge of his Parliamentary duties on the floor of the House and this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public published today i.e. 22-11-1996 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st Sitting of the next session.

श्री भजन लाल : मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। अब कोई एमरजैन्सी नहीं है लेकिन यह गवर्नमैंट अब एमरजैन्सी पैदा करना चाहती है क्योंकि यह अखबारों के खिलाफ भी प्रिवलेज मोशन लाना चाहती है। अखबारों से हमने जो कहा है उन्होंने तो वही छापा है। अखबारों का इसमें कोई दोष नहीं है। हम अखबारों को किसी कीमत पर भी दोषी नहीं मान सकते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस प्रकार से प्रेस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी वह अखबार पढ़ा है लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस तरह से प्रिवलेज मोशन प्रेस के खिलाफ लाकर उसको दबाना चाहती है ताकि प्रेस कभी भी इनके खिलाफ न लिख सके और वह इनकी इच्छा के मुताबिक ही लिखे । * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, जो भी अब कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * *।

11.00 बजे **श्री बीरेन्द्र सिंह** (उचाना कलां) स्पीकर सर, दो विशेषाधिकार के मोशन पार्लियामैन्ट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने सदन में रखे हैं जिनमें से एक तो लीडर ऑफ दि कांग्रेस पार्टी इन दि असैम्बली के खिलाफ और दूसरा एक विशेष समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस के ऐडीटर, कोर्सपौंडेंट, पब्लिशर और उसके प्रिंटर के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यूं शुरू करता हूं कि यह विधान सभा जिसका गठन इस आधार पर हुआ था कि सरकार वह बनाएगा जिसकी हाउस के अंदर मैजोरिटी होगी और सरकार की कार्यशैली में जो कमियां हैं जो लोगों की बात है वह विपक्ष उठाएगा। विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपने समता पार्टी को मान्यता दी और श्री ओम प्रकाश चौटाला को उसका लीडर ऑफ दि अपोजीशन करार दिया। हमने भी एक विपक्ष की भूमिका तय करने के लिए इस सदन के अंदर हर संभव प्रयास किया और हमारा वह प्रयास आपके माध्यम से होता है। लेकिन हमारे प्रयास को जो सत्तापक्ष के लोग हैं वे अपने बहुमत के बलबूते पर बुलडोज कर सकते हैं इसलिए जब कभी भी लोगों की दुख तकलीफ की बात आई या सरकार की कमियों को उजागर करने की बात आई तो हम आपकी शर्ण में आए जिससे कि हम सरकार के कान खोल सकें, उनको सुधार सकें। इसी संदर्भ में कल यहां जो कुछ हुआ मैं यह मानता हूं कि इसमें दोषी कोई एक आदमी नहीं हो सकता। सत्तापक्ष भी पूर्णतया दोषी नहीं हो सकता और विपक्ष भी पूर्णतया दोषी नहीं हो सकता। सत्तापक्ष की यह

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री बीरेन्द्र सिंह]

दलील थी कि मॉन ऑफिशियल डे पर कोई काम ही नहीं है तो हम क्या करें और यह बात सही है कि कोई काम था भी नहीं। लेकिन हमने आपसे यह रिक्वैस्ट की थी कि विधानसभा में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने के लिए बिल स्वीकार कर लें। जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसका मैं जिक्र करूंगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में अगर आप विपक्ष के नेता को पहले झटके में नेम कर देते हैं और प्रस्ताव आ जाता है कि इनको रैस्ट ऑफ दि सैशन के लिये निकाल दिया जाए। (विघ्न) तो उसके बाद कोई भी ऐसा रास्ता या ऐसा चारा नहीं रहता जिससे कि उस विवाद को हल किया जाए। हमने कल कोशिश की, हमने आपसे भी रिक्वैस्ट की और हमने लीडर ऑफ दि हाउस से भी रिक्वैस्ट की कि आप बहुत इम्पोर्टेंट बिल पेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि विपक्ष सत्तापक्ष के विचारों को भी सुने तो उस पक्ष को भी आप सुनें जिसके 22 सदस्य हैं। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय,चौधरी बीरेन्द्र सिंह ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सरकार हर बिजनैस को बुलडोज कर रही है। कोई बात नहीं अखबार वाले तो इस बात को लिख देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब पहले दिन एडजर्नमैंट मोशन, काल अटेंशन मोशन और मोशन अन्डर रूल 84 डिस्कशन के लिए आये तो आपने लीडर ऑफ दि अपोजीशन को यह ओपशन दी थी कि चाहे आप एडजर्नमैंट मोशन पर डिस्कशन कर लो, चाहे मोशन अंडर रूल 84 पर डिस्कशन कर लो और चाहे कालिंग अटैंशन मोशन पर डिस्कशन कर लो। ऐसी औप्शन मेरे ख्याल में आज तक हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में किसी अपोजीशन के लीडर को नहीं मिली होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इन्होंने कहा कि बिल हमें लेट मिला। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने खड़े होकर कहा कि बिल अगर लेट मिला है तो इसको आप डिस्कस कर लो। तब अपोजीशन के नेता ने और चौधरी भजन लाल जी ने भी कहा कि ठीक है इस बिल पर कल डिस्कशन कर लेना तो हमने फटाक से इनकी बात मान ली। जब 19 तारीख को दि पंजाब शॉप्स एंड कामर्शियल एस्टिबिलशमेंट अमैंडमेंट बिल पर डिस्कशन चल रही थी तो अपोजीशन की तरफ से मांग आई कि दस आदमियों को नौकरी पर रखने वाली शॉप्स को फीस से माफ कर दो तो हमने इनकी वह बात भी मान ली। फिर भी ये कहते हैं कि हम बुलडोज कर रहे हैं तो ये जरा सोच कर ऐसी बात कहें तो अच्छा लगेगा। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं बिल्कुल सोच कर कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पांच बिल हाऊस में कल डिस्कस होने थे। उससे पहले ही सदन के विपक्ष के नेता और दूसरे साथियों को यहां से जाना पड़ा। हम यह कह रहे हैं कि वह आदमी मौजूद होते और हम भी सदन में मौजूद होते तो हर बिल पर हम कंट्रीब्यूट करते और यह बात कहते। जब इनकी तरफ से एक्साईज के बारे में अमैंडमैंट बिल आया तो हम चाहते थे कि प्रोहीबिशन की नीति जो ये लेकर आये हैं उसके बारे में हम उस अमैंडिंग बिल के माध्यम से बताते कि कहां-कहां खराबियां हैं और किन-किन चीजों को सुधारा जा सकता है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बार बार कह रहे हैं कि हम बोलते, अगर ये बोलते तो इनको कौन रोकता। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में चौधरी भजन लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आये हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल ने खड़े होकर यह कहा था कि अगर स्पीकर महोदय, को मेरी बात से तकलीफ हुई है तो मुझे उसके लिए खेद है। मैंने आज तक लोकतन्त्र की परम्परा में ऐसा नहीं देखा। जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार हो और वह

खुद खड़ा होकर अपनी बात को स्पीकर महोदय से कहे कि अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं खेद प्रकट करता हूं और खेद प्रकट करने के बाद भी वह विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन में पास किया जाये या विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाये तो ..... (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : चौधरी बीरेन्द्र सिंह सदन को गुमराह कर रहे हैं। चौधरी भजन लाल जी ने इस तरह की आदर की बात नहीं की है। उन्होंने ने तो चेलेंज किया था कि मैं प्रिवीलेज मोशन की परवाह नहीं करता। जो आदमी इस तरह से कह रहा है तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह यह कैसे कह सकते हैं। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह तो रिकार्ड की बात है, रिकार्ड से पता लगा सकते हैं। रिकार्ड मंगवा कर देख लें अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ने को तैयार हूं। इन्होंने कह दिया कि मैं खेद प्रकट करता हूं।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आनरेबल मैम्बर श्री बीरेन्द्र सिंह ने जो बात की है कि इन्होंने कह दिया कि मैंने यह नहीं कहा that will be looked into by the Committee of Privileges. पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने प्रिवीलेज मोशन हाउस के सामने रखा है, वह जब प्रिवीलेज कमेटी के सामने आयेगा तो पता लग जायेगा कि इसकी इजाजत दी जाये या नहीं। क्योंकि इस मामले को प्रिवीलेज कमेटी को रैफर करने की मंजूरी हाउस ने दी है। यह हाउस ने फैसला दिया है। यह देखना प्रिवीलेज कमेटी का काम है कि वाकई इन्होंने यह कहा है या नहीं कहा है। इनके कहने के मुताबिक अखबारों ने कार्यवाही की है या नहीं। अब जो फैसला कमेटी करेगी उस फैसले को स्पीकर द्वारा मानने की बात है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैंने यह कहा है कि हमारे अन्दर इतनी विशालता नहीं होगी कि हम उस आदमी के खेद प्रकट करने के बाद भी इनसिस्ट करें। यह हमारी कम दिली की बात है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : आप इनको माफ भी करते हैं। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैंने कभी माफ नहीं किया। मैंने सदन में इनकी गलतियों को उजागर किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, आप वजह फरमाएं कि जिस आदमी ने खेद प्रकट किया उसी आदमी ने हाउस में यह कहा कि वह प्रिवीलेज मोशन की परवाह नहीं करता है। This is on the record.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बार ही नहीं, इन्होंने पहले भी ऐसे कई बार कहा है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने उत्तेजना के साथ कहा था तो मैंने भी कहा। (शोर) इस बात के लिए मैं फिर कहता हूं कि यह गलत है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका थोड़े ही है कि आप इस तरह से धमकाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इनको किसी का आदर करना ही नहीं आता है। हम इनको आदर करना सिखा देंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अगर आप बोलना चाहें तो पहले चेयर की इजाजत लें। आप तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि आप मुख्य मंत्री हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नहीं है। (विघ्न) आप लोगों का ईलाज करने के लिए लोगों ने ह०वि०पा० व भा०ज०पा० को यहां पर चुनकर भेजा है। (शोर)

Mr. Speaker : No interruptions please. Take your seats please.

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक न्यूज़ पेपर के खिलाफ यहां पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ये लेकर आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज समाज की विकृतियों, राजनेताओं की कमियों और जो बड़े-बड़े लोग समाज में पर्दे के पीछे अपराध करते हैं, उनका पर्दाफाश करने की समाचार-पत्रों की एक अहम भूमिका होती है। (विघ्न) मैं तो यह भी कहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी को सत्ता में लाने की उन्हीं समाचार-पत्रों की भूमिका रही है जिनकी ये तारीफ भी करते थे। इन समाचार-पत्रों ने बहुत ठीक लिखा। अब उन्हीं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। (शोर) चुनावों में नरवाना में भा०ज०पा० और ह०वि०पा० गठबंधन को पौने 3 हजार वोट्स मिली थीं। (शोर) यह तो लोगों का फैसला होता है। न हमारे हाथ की बात है और न आपके ही हाथ की बात है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सब बैठिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि वहां पर इनकी पौने तीन हजार वोटस ही आई थी। हां तो मैं कह रहा था कि यह तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। यह एक तरीके से समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता और उनकी स्वायत्तता का गला घोंटने के समान होगा। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह बिल्कुल गलत कर रहे हैं।

Shri Jaswant Singh (Narnaund) : Speaker Sir, a very serious matter is before this House and this matter has two aspects. One is regarding the facts of the matter and the second aspect is what is the opinion of the different members of this House in this regard. Sir, the facts that brought all the situation before the House are on the record and I may also add that facts are sacred and opinion may be different. Therefore, the facts are before the House and a very unfortunate situation was created by the worthy leader of Opposition yesterday and the members of his party. Sir, I would like your indulgance. What happened yesterday was that the non-official day was converted into an official business day by this House. When this matter was there we could see how was it converted into that day. If the members of the Treasury Benches have violated any Rules of Procedure, then certainly they are guilty. But they have a right to point out that this Rule of Procedure and Law has been violated and we are answerable for that. But that was not the position. We converted the non-official day into official day by adhering to well prescribed law and rules. If this fact is not correct, I can withdraw my allegations. This point was not agreed to by the opposition and they brought in another thing that there was some non-official resolution which was moved by some members of the ruling party in the earlier Assembly and that House was dissolved. Sir, there is again a rule on this point that any

resolution whether official or non-official lapses alongwith the dissolution of the Assembly. This is also a law. These were two things and were according to law. Speaker Sir, as we had said in the very beginning of this House that this Government will work according to law. Sir, this government will work in the interest of the public as per rule and law. Sir, the law is higher than all of us. Law is higher than this Government, House and all of us. Therefore, Sir, when the law was violated by the opposition my worthy friend, Ch. Birender Singh Ji never pointed out a single word and he was trying to fish out the trouble water. He was trying to say that something was being run up against the rule, against the law. Sir, it is a very serious matter. Sir, always the facist rule was brought into the Society by the parties like those who have left the House and who have been suspended for their behaviour and violation of law. Sir, we could curb those people earlier and bring them to book. Sir, the people of Haryana have sent us in majority to arrange and manage the affairs of the State and no body should be allowed to interfere with the business of the House. Sir, we are transacting the business of the House and we should not waste the time of the House. Sir, even if we sign a paper here with the Ink and that ink is bought with money which is being spent by the poor people of Haryana. Nobody should be allowed to waste the time of this August House like this, which they have wasted. Sir, there is a law that all the matters lapse, when the Assembly is dissolved. Ch. Bhajan Lal Ji was very much here and he did not stand up to tell the Leader of the Opposition that he should not say all this and should not act like this. The Hon'ble Speaker requested the Leader of the Opposition three or four times that you please vacate the House with all humility and with all respects. He requested the Leader of the Oposition to leave the House. All those people were standing and speaking without permission and they even came up to the well of the House. They also started throwing papers on the Chair. Shri Om Parkash Chautala himself threw a ball of papers towards the Chair. Sir, this is most unfortunate thing. Ch. Birender Singh at that time never stood up from his seat to say the Chautala Sahab not to do so. Mr. Speaker, Sir, if he defends such activities then it is very unfortunate for him. Ch. Bhajan Lal Ji never stood up to stop what was happening at that time. He did not speak a single word when this was happening in this House. Sir, there was no course left to the House except that. Accordingly to law the Speaker proceeded and suspended that person for that action. Ch. Khurshid Ahmed ji, alongwith members of his party, went to the Chamber of the Hon'ble Speaker to sort out the matter. Sir, you alongwith the Leader of the House told Ch. O. P. Chautala that he should first vacate the House. Sir, the Leader of the House and you have said that you are ready to consider all the things which they wanted to say but they must acceded to the request. On one side, they kept standing and shouting in the House, and in the other side they said that we are obeying your orders. Sir, you are the protector of our rights. Sir, they were insulting the chair by not obeying the orders. Everything was possible which they could do at that time. On that matter they were just violating the law. (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : Ch. Sahab, kindly conclude your speech.

Shri Jaswant Singh : Sir, I am concluding, Sir.

Shri Birender Singh : Mr. Speaker, Sir, he is consuming the time of the House. He is not at all speaking on the privilege motion when he is saying that every money of the poor people being spent on the ink, is not in the privilege motion. Where from this money has come, Sir. He should speak only on the privilege motion and he should not speak irrelevant as he is consuming the valuable time of the House. He is referring other issues while saying that the money of the poor people was being spent on the Ink of the pen by which we sign every paper here. I would like to say that he is not relevant in his speech.

Mr. Speaker : Ch. Birender Singh Ji, he is very much on his legs. Let him conclude his speech first. (Interruptions.)

Shri Jaswant Singh : Sir, I will take a minute.

श्री अध्यक्ष : मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो कुछ कहा उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने भजन लाल जी को बोलने के लिए टाईम लिमिट है, ऐसा नहीं कहा। (विघ्न) ये तो अपने आप ही बोल कर बैठ गए थे। (विघ्न) Please take your seat.

Shri Birender Singh : He is not speaking on the motion and delaying it unnecessarily.

Shri Jaswant Singh : I will not delay and go outside the subject and I will not say anything which is not relevant. Speaker, Sir, in the very beginning of the day, you told all the worthy members of this House that there was a lunch from your side and the food was available to them. Ample time to speak was also available to them. You were so gracious to them.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय जसवंत सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे प्रिवीलेज मोशन पर बोल रहे हैं, खाना मेरे हिसाब से प्रिवीलेज मोशन का हिस्सा नहीं था और न अपोजीशन को यहां से निकालने का प्रिवीलेज मोशन का हिस्सा था। एक प्रिवीलेज मोशन मूव किया हुआ है (विघ्न) चौधरी जगन्नाथ जी इंग्लिश पढ़ना-लिखना सीख लें। इसलिए मैं आपके माध्यम से चौधरी जसबंत सिंह का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहना चाहता हूं कि वे प्रिवीलेज मोशन पर अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करें, इधर-उधर की बात न करें।

Shri Jaswant Singh : I can learn anything from anybody, what to say of him. I have been learning from his respected father also.

Mr. Speaker : Please conclude within two-three minutes and come to the point.

Shri Jaswant Singh : Now I will come to the point. You told them that they can speak as much as they wanted but they were not interested to speak. They wanted to show in this House that they were not being given time to speak. They have nothing, to speak. You had offered all the time available at the disposal of this House and even the food was available for them. They did not do it and they kept telling that we respect you. (interruptions).

Shri Birender Singh : On a point of order, Sir. I know my elder brother. If you will not restrict him and contain him, he will go on speaking whatever he wants to say. So kindly restrict him from making such a lengthy speech.

Mr. Speaker : Jaswant Singh ji, please conclude within three minutes.

Shri Jaswant Singh : Sir, I was saying that they only wanted to show that they were not being given time but the position was otherwise. There was no course before this House except to see that the proceedings of the House can be continued. The only method remained with us was very unfortunate and with a heavy heart, we passed the motions suspending all the members of the Opposition sitting on those benches. It is unfortunate. Sir, I must say with all the humility and all the assertion that I command that the right of a member to speak is a very sacred. What he speaks in his right. But the right to speak not only in this House but even outside the House is very important and I am ready to lay down my life for it because this is Govt. by dialogue. This Govt. is functioning according to the Constitution and the framers of the Constitution adopted a form of Govt. for the country which has to be run by discussion. This is a Govt. by dialogue and therefore, we wanted dialogue. When they did not come to discussion and dialogue, then no other method was before this House. We wanted to have discussion. Time was offered to them to have discussion and dialogue in this House. When a right is available to an individual, and a member of this House then they should use it. The same right is also available to the Press, all the papers and the media. They are fourth Estate. Sir, everyone knows what service this media is rendering, what newspapers had rendered for achieving independence for this country and even now, what service this media is rendering for good administration of the country. I bow my head before this media and this Govt. also bows its head before this media. (Interruptions) I know how to do it. I know all these things. I do not want to indulge in these things. The record is here. I have not stood up and objected anybody's speech from that side. I do not know whether the representative against which you have brought a motion of breach of privilege was present in the press gallery yesterday or not. But I presume that be must have been there in the gallery yesterday. He must have seen how they were violating the law. I would also point out to the representatives of the newspapers through you that if these things will not be controlled then this State and country will pass into the hands of the facists. We must stop it and rule of law must prevail. Sir, two motions were brought in this House. They deserve it certainly. Shri Bhajan Lal Ji has not denied that he has not said what has come in the newspaper. He has accepted the fact that he has said it and if he has said it then he should face it. Why they are trying to say that he should be spared. He has said that you are like an SHO. SHO is a very a respectable person. But he cannot call you an SHO. This is very below the dignity of the leader of the nine member group of Congress Party. He has said that I have all respect for you and you are the protector. But if he wants the protection of an SHO he should go to his constituency and ask the protection of the SHO there. If that representatives of the newspaper was watching what has happened then he should have written very strongly the behaviour of the opposition. It is the duty of that paper. What was the matter on which they were objecting and violating the law. I have brought all the facts before the House on which two privilege motions have come. I will always stand for truth and thank you so much.

Mr. Speaker : Question is -

That the matter in regard to the publication of a Statement casting reflection on the impartiality, conduct and character of the Speaker by the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express and which contains derogatory remarks and cast serious aspersions on the Chair in the discharge of his Parliamentary duties on the floor of the House and this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public published today i.e. 22-11-1996 be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the 1st sitting of the next session.

The motion was carried.

वाक आउट

(इस समय कई माननीय सदस्य बोलने के लिए अपनी सीटों पर खड़े हो गए)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम इस पर डिवीज़न चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, अब तो मोशन हो लिया इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इस पर वोटिंग होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बारे में पहले ही कह दिया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, मैंने आपको बोलने के लिए टाईम दे दिया, कैप्टन साहब आपके लीडर को भी टाईम दे दिया, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि टाईम नहीं दिया गया। (विघ्न एवं शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर डिवीज़न चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Karan Singh Dalal : Sir, in Rule 264 (2) of Rules of Procedure and Conduct of Business it has been stated (Noise & Interruptions).

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने डिवीज़न मांगा था। हमने इस बारे में बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) That is the only stage when leave is to be granted. (Noise & Interruptions).

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, ये लोग झूठी सहानुभूति दिखाना चाहते हैं। रूल 264 (2) में लिखा है :-

"If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members, who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than fifteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted..."

श्री अध्यक्ष : चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी आप सारे रूल जानते हैं हमें यह पता है। आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने डिवीज़न मांगा है हमें बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम एज़ ए प्रोटैस्ट वाक-आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और तिवारी कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य वाक-आउट कर गए)

श्री अध्यक्ष : यह सदन के समक्ष है कि इन्होंने बोलने के लिए बाद में प्वायंट आउट किया। इसलिए इनको बोलने का समय नहीं दिया गया।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move -

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly", indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved -

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly", indefinitely.

Mr. Speaker : Question is -

> That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly", indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move-

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die*

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

Mr. Speaker : Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine-die.*

The motion was carried

सदन की मेज़ पर रखे गए कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 1995 as required under Section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will introduce the Haryana Lokpal Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारी हरियाणा विकास पार्टी और बी०जे०पी० पार्टी के मैनीफैस्टो में था कि हम लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। Therefore, I introduce the Haryana Lokpal Bill, 1996.

Sir, in Clause 2 of the Bill it is stated -

"2. In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "allegation" in relation to a public servant means any affirmation that such public servant-

(i) has knowingly and intentionaly abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm to any other person."

स्पीकर साहब, इस क्लाज में कम्पलेन्टस वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। यदि इस बिल को ये पढ़ेंगे तो इनको सब मालूम हो जाएगा।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या इनको प्वायंट ऑफ आर्डर का पता है कि वह क्या होता है। ये वैसे ही खड़े हो जाते हैं। जब सी०एम० साहब इतना महत्वपूर्ण बिल मूव कर रहे हैं तो ये क्यों खड़े हो गए हैं। यह इनका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

Mr. Speaker : Dalal Sahab, you please take your seat. This I have to decide.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सदन के विचाराधीन आने वाला है और जिसको अभी बंसीलाल जी ने इन्ट्रोड्यूस किया है लेकिन इस बिल के हाउस में आने के समय सारी अपोज़ीशन का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह बिल आने वाली जैनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाला भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इस बिल पर सारी अपोज़ीशन को बुलाएं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी सारी बातें इस बिल पर बहस के समय कह सकते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चाहे आप इस पर दो दिन बहस करवाएं लेकिन सारी अपोज़ीशन को आप पहले हाऊस में बुलाएं और उसके बाद इस पर डिस्कशन शुरु होनी चाहिए वरना बड़ा अन्याय हो जाएगा प्रजातंत्र के साथ। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पहले सारी अपोज़ीशन को बुलाएं और फिर इस बिल पर डिस्कशन शुरु करवाएं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। मैं बड़े दुख के साथ यह प्वायंट आऊट करना चाहता हूं कि जब मैं खड़ा हूं तब भी आप खड़े रहते हैं। उस समय तो आप बैठ जाया करें। अब आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। आपका यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब आप हमें प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने ही नहीं देते तो इसका मतलब यह हो गया कि आप सबके नहीं हैं जबकि आपको सारी पार्टियों को बराबर देखना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब तक आप सारी अपोज़ीशन को इस बिल पर डिस्कशन के लिए नहीं बुलाएंगे तब तक हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं मूव ही कर रहा हूं। जब बहस होगी तो ये अपनी बात कह लें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब आप हमें बोलने ही नहीं देते और जब तक आप सारी अपोज़ीशन को नहीं बुलाते तो हम एज़ ए प्रोटैस्ट बाक आऊट करना चाहते हैं। यह आपका कोई हाऊस चलाने का तरीका है क्या ? हाऊस ऐसे चलता है। चौधरी बंसी लाल जी, आपको तो पहले ही बहुत रगड़ा ज़िंदगी में लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब तक सारी अपोजीशन न हो तब तक आप इस बिल पर डिस्कशन शुरु न करवाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, या तो आप बैठ जाएं या फिर आप जो करना चाहते हैं, वह करें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप सारी अपोजीशन को नहीं बुलाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस बिल पर बहस शुरु हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है इसलिए आप बड़े आराम से इसमें पार्टीसिपेट करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हमारे पास यह बिल रात को आया है और फिर आप कहते हैं कि आप बिलों को पढ़ते नहीं हैं। जब रात को यह हमारे पास आया है तो हम इसको कब पढ़ें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल रात को नहीं गया है बल्कि कल ही सदन में यह बिल सबको दे दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। यह बिल कल ही यहां पर हर सदस्य को उसकी सीट पर दे दिया गया था लेकिन अगर आप यहां से चले गए हों तो यह कोई बात नहीं है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप तो हमें किसी भी बिल पर बोलने का मौका नहीं देते हैं यह बिल रात को साढ़े नौ बजे हमारे पास आया है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, चाहे रात के साढ़े नौ बज जाएं, आप बोलिए क्योंकि टाईम की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप न बोलें तो फिर मैं तो आपको बुला नहीं सकता।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, हम तो इस बिल पर बोलना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर को ही यह बिल यहां पर सर्कुलेट कर दिया गया था और इनके घरों में भी इसको भेज दिया गया था। जो ये कहते हैं कि रात को यह बिल इनके पास पहुंचा है तो यह बिल्कुल असत्य बात है। आप अपने ही सैक्रेटेरिएट से पूछें कि यह बिल इनके घरों पर गया था या नहीं।

Shri Khurshid Ahmed : Sir, I want to say in regard to this Bill that on the Bill itself, it is written that on 19th November, 1996, i.e. the day before yesterday, it was notified in the official gazette. The purpose of this Bill is very great and the importance of this Bill is also very great. This being the situation when the Bill is of that much importance, that is going to affect the members of this House, the previous ones and the future ones also. It is such an important bill that it should have been welcomed by all of us but if we could have studied it. Only last night at 9.30 p.m., we received this bill. I think, with such a short period, no merit can be looked into and as I have already said that this is a bill of great importance and it is going to affect everybody. In the Statement of Objects and Reasons, it is stated-

> "The Government have been considering setting up institution of Lokpal in the State to enquire into allegations or grievances made a public servant including past and present members of Council of Ministers, MLAs, Chairman/Vice-Chairman of Zila Parishad/Panchayat Samiti, Mayor/Senior Deputy Mayor/Deputy Mayor of the Municipal Corporation(s), President/Vice-President of Municipal Council Committee, Chairman/Vice-Chairman or a Member/Director of Statutory or Non-Statutory Companies/Corporations/Apex Cooperative Institutions or Boards under the State Government, Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor of the Universities.":

So it is going to affect every body. We need to study it with patience. If you have introduced it, it is all right. You can refer it to the Select Committee so that it can be seen in the Select Committee. This is a way out, otherwise we cannot participate in the discussion on this Bill. So you kindly straightway send it to the Select Committee. You can appoint the Select Committee according to your own wish, whomsoever you like, so that the Bill can be studied.

श्री बंसी लाल : बहस के दौरान आप यह बातें कहना फिर इस बारे में सोचेंगे। जब इसे इन्ट्रोड्यूस कर दें तब आप इस बारे में बोलना। हम तो करप्शन खत्म करना चाहते हैं आप होने ही नहीं देना चाहते हैं।

Shri Khurshid Ahmed : That is why, this Bill has to be welcomed but it has to be considered carefully and my only request is that you can refer it to the Select Committee and this Bill can come before the House after proper scrutiny on each and every clause.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम यह बिल ला रहे हैं स्टेट में घूसखोरी, करप्शन और रिश्वतखोरी बंद करने के लिए और इसके बारे अगर विरोधी पार्टी विरोध करें तो मैं समझता हूं कि यह काबिले अफसोस है और कोई बात नहीं है। इसमें जो इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव हैं वह सभी आएंगे क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसे हालात होते आ रहे हैं कि हर आदमी के खिलाफ इल्जाम लगते हैं हम चाहते हैं कि ऐसे इल्जाम लगें तो उन पर फौरन कार्यवाही हो और जो लोकपाल बनेंगे वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज होंगे और उनको हटाना भी आसान नहीं होगा। उनको कोई भी शिकायत दे सकता है और यह पांच साल पीछे तक की सरकार पर भी लागू होगा क्योंकि हर प्रदेश में ऐसा ही है कहीं पांच साल है कहीं दस साल है। मैं यह बिल इसलिए पेश कर रहा हूं कि हमने हरियाणा की जनता के सामने कमिटमैंट की थी कि हम रिश्वत को खत्म करने के लिए लोकपाल बिल लाएंगे। The Chief Minister is also included in this Bill.

Now I also moved-

That the Haryana Lokpal Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Lokpal Bill be taken into consideration at once.

श्री वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर सर, अभी लीडर ऑफ दि हाऊस ने सदन में लोकपाल बिल इन्ट्रोड्यूस किया और साथ में इन्होंने यह कहा कि विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोकपाल बिल की प्रतीक्षा सिर्फ इस सरकार के बनने के बाद नहीं थी जब जब नई सरकारें बनीं बड़े आइडियल ढंग से यह बात कही थी कि जहां भ्रष्टाचार ..... (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हम इसको प्रैक्टिकली ले आये हैं। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से लीडर ऑफ दी हाऊस को कहना चाहता हूं कि लोग इस बिल का इंतजार अब से नहीं बल्कि 15-20 सालों से कर रहे हैं। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : जब आपकी पार्टी की सरकार थी तब लोकपाल बिल क्यों नहीं लाए ?

श्री बंसी लाल : आप तो उस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस (आई) पार्टी के अध्यक्ष थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल का विपक्ष की तरफ से विरोध नहीं है लेकिन यह बिल जिस तरह से सदन के अन्दर पेश हुआ है वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, परसों इस बात पर चर्चा हुई थी और मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो आलरेडी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]
एग्जिस्ट करते हैं और उनमें हम अमैंडमैंट करते हैं the Minister comes with that amendment यह तो एक नया बिल आप सदन में लेकर आ रहे हैं। इसके एक-एक क्लाज पर, एक-एक वर्ड पर चर्चा करना नियाहत जरूरी है। पार्लियामैंट में जो इस प्रकार का बिल पेश होना है, उसकी कापी इस सदन में हमारे पास है। जब तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब प्रदेश के दो-तीन बिल हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम इस बारे में अपने पूरे विचार व्यक्त नहीं कर सकते। Vidhan Sabha Secretariat is to provide us all the facilities.

श्री बंसी लाल : यह हमारा काम नहीं है कि दूसरी स्टेट के बिल लाकर हम आपको दें। दूसरे स्टेट्स के बिल लाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमने तो अपना बिल सर्कुलेट कल दोपहर को कर दिया था। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अब अगर लीडर ऑफ दी हाउस यह कहें कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है तब भी अगर 15 दिन पहले आप यह बिल हमें देते तो हम अपनी जिम्मेवारी निभाते। अब रात को किस की लाईब्रेरी खुलवायेंगे और कहां जाकर उन स्टेट्स के बिल को स्टडी करेंगे। जब तक इसकी कम्पैरेटिव स्टडी नहीं करते तब तक हम इसके बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हम तीन महीने से कह रहे हैं कि लोकपाल बिल अगले सैशन में लायेंगे तो अब तक इस बारे में स्टडी कर ली होती।

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह बिल 19 तारीख को गजट में शाया हुआ, 20 तारीख को बाहर निकला और कल 21 तारीख को हमें मिला है। यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के साथ सारे हरियाणा की पोलिटी जुड़ी हुई है, हमारा राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा और सबका सहयोग जुड़ा हुआ है तथा सारे एडजैक्टिव इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमे देखना है कि इसमें कैसे-कैसे और कौन-कौन से प्रावधान हैं जिनके आधार पर एक इन्डिपैंडेंट इन्क्वायरी करवाई जा सके। इस बिल पर केवल सत्ता पक्ष के सदस्य और हम विचार करें यह ठीक नहीं है क्योंकि अपोजीशन में जो मेन विपक्ष है, वह इस समय यहां पर नहीं हैं उनका भी यहां पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो लोकपाल बिल आपने आज इन्ट्रोड्यूस किया है वह सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये और एक-डेढ़ या दो महीने बाद जब भी अगला सैशन होगा उस समय इस पर खुलकर बहस करेंगे और हम इस बिल का स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बोलिये (विघ्न)

श्री भजन लाल (आदमपुर) :अध्यक्ष महोदय, बिल बड़ा अच्छा है। ऐसे बिल सदन में आने चाहिएं ताकि राजनीतिक लोगों के बारे में पता लग सके। गोदारा जी कहते हैं कि यह बिल मेरे लिए ला रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है इन्होंने बैठे-बैठे यह कहा है कि यह बिल भजनलाल के लिए ला रहे हैं। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : ऐसी बात किसी ने नहीं की है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये फिर खड़े हो रहे हैं इन्हें रोकिये (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हमने यह कहा है कि यह बिल सबके लिए है इनक्लयूडिंग माईसैल्फ।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह बहुत अहम बिल है। चौधरी बंसी लाल जी ने यह बिल पेश करते हुए कहा कि इस बिल को 5 साल पहले की तारीख से लागू कर ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें क्या नजर आता है ? 5 साल पहले तो भजन लाल ही मुख्य मंत्री था और कोई दूसरा नहीं था। इसलिए किसी से कोई झूठी सच्ची कम्पलेंट दिलवा देंगे और मुझे फंसा देंगे। ऐसा कुछ मोटिव इसमें नजर आता है। (विघ्न) इसलिए मैं कहता हूं कि आप यह बिल जरूर लाएं। लेकिन कब से इसको लाएं, इस बारे में मैं निवेदन करता हूं कि या तो यह उस तारीख से लागू हो जिस तारीख से यह बिल पास हो या फिर उस तिथि से, जब से हरियाणा बना है। क्योंकि इस दौरान 3 दफा मैं और 2 दफा बंसी लाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बंसी लाल जी के खिलाफ तो आडिटर जनरल की तरफ से भी एलिगेशंज लगे हुए हैं। (विघ्न) इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह बिल जब से हरियाणा बना है, तभी से लागू होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इनका यह सुझाव हम मान लेंगे कि जब से हरियाणा बना है, तब से इसको लागू करेंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत अहम है इसलिए इस समय अपोजीशन के सारे मैंबर्ज़ यहां पर उपस्थित होने चाहिएं क्योंकि इस बिल की एक-एक क्लाज़ पर बहस होनी है। यह आने वाली जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ बिल है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहें तो इसके लिए 15 दिन के बाद सैशन फिर बुला लिया जाए या बज़ट सैशन जो कि डेढ़ महीने के बाद फिर होना है, उसमें इसको लाया जाए। इस बिल को अब पास करने की कोशिश मत करिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। (विघ्न) अभी इसको सिलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए और इसके बाद इसको बज़ट सैशन में लाइए तो ठीक रहेगा क्योंकि जब तक हम इसकी स्टडी भी कर लेंगे तथा सुझाव देने के काबिल भी हो जाएंगे कि इसमें कहां-कहां क्या-क्या कमियां हैं। (विघ्न) बाकी मैं यह कहूंगा कि यह एक अच्छा बिल है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No interruptions please.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी तो इतनी ही प्रार्थना थी। (विघ्न) आप यह कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। ज्यादती तो पहले ही बहुत की जा चुकी है। (शोर) अगर मैं कुछ कहूंगा तो दोबारा फिर मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बिल को पास करते वक्त सारे मैंबर्ज उपस्थित होने चाहिएं। आप चाहें तो 15 दिन के बात फिर सैशन इसके लिए बुला लें या चाहें तो बज़ट सैशन में इसको लाएं। आज इसको पास कराना उचित नहीं होगा। अगर आज इसको पास करेंगे तो हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे। धन्यवाद।

श्री खुर्शीद अहमद (नूह) : अध्यक्ष महोदय, कल से माहौल कुछ ऐसा चल रहा था जो आज आकर के थोड़ा जमा है। इसलिए अब कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक्ट के स्कोप को जितना बढ़ाया जा सके, उसको बढ़ाएं। इसके लिए जरूरी है कि इसको जल्दबाजी में पास न करें तथा 15 दिन के बाद इस अकेले बिल के लिए फिर सैशन बुला लें तो ठीक रहेगा। मैं इस बात को भी अच्छी तरह से वैल्कम करता हूं कि लीडर ऑफ दि हाऊस ने इस बात को मान लिया कि जब से हरियाणा बना है, तब से इस बिल को लागू करेंगे। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। यह बहुत बढ़िया हुआ है ताकि इसकी छत्रछाया में सभी लोग अच्छी तरह से पल जाएं और लोगों द्वारा निर्वाचित सभी सदस्यों तथा एग्जीक्यूटिव मैंबर्ज़, एग्जीक्यूटिवज़ की हर ब्रांच सभी को अपने-अपने अमल

[श्री खुर्शीद अहमद]

पास कराने का पूरा मौका मिल जाएगा कि कितना साफ कैरेक्टर होना चाहिए। उनको अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिल जाएगा। आजकल बड़े-बड़े लोगों का मामला ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल को पढ़ भी नहीं सके हैं क्योंकि यह छपा ही नहीं था। (विघ्न) आजकल अंतर्यामी तिहाड़ की तरफ हैं। (हंसी) हम लोग तो साधारण आदमी हैं। हम कैसे इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। (विघ्न) मेरी तो यह प्रार्थना है कि लीडर ऑफ दि हाऊस अपनी दरियादिली दिखाते हुए हमें इस बिल की स्टडी के लिए पूरा मौका दें ताकि हरेक आदमी की तरफ से हर ऑस्पैक्टस पर इंमप्रूवमैंट के लिए कोई अमैंडमैंट्स वगैरह हों, तो वे आ सकें क्योंकि इसमें कई एक्ट्स रैफर किए गए हैं जैसे सी०पी०सी० या एवीडैंसिज़ के एक्ट्स हैं। इसमें सभी को बराबर मौका दिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कोई ये कहे उसको तो मौका ही नहीं मिला कि बिल इनएडिक्वेट था या वह पूरी डिफैंस नहीं दे सका। कहीं कोई ऐसी कमी इसमें न रहे कि कोई इसके होते हुए भी पार निकल जाए। इस प्रकार से दोनों तरफ इंतजाम पक्का होना चाहिए। बाकी वास्तव में यह बिल सच्चा और अच्छा है। इसलिए हमें इसका पूरे तौर से इंतजार करना चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करेंगे। इस बिल में कोई लूप होल रह गया तो हाउस से बाहर क्या कहलाएंगे कि लगा लिया जोर कर लिया सब कुछ इसमें तो कुछ भी नहीं बना सिट भी नहीं निकली। तो ये शब्द सुनने को न मिलें, इसलिए मेरी लीडर ऑफ दि हाऊस और सारे मैम्बरान से दरखास्त है कि इसको पास करने की जल्दबाजी न की जाए। इस बिल के बारे में 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब भी आप हमें सैशन में बुलाना चाहेंगे उस दिन हम आने के लिए तैयार हैं। आप चाहें सैशन कभी भी बुला लें और वह सैशन सिर्फ इस बिल के लिए ही बुला लें। यह एक बहुत अच्छा बिल है इसको आज सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए ताकि इसमें कोई लाकूना न रह जाए और यह कोई न कह पाए कि हरियाणा प्रदेश की असैम्बली ने लोकपाल बिल पास किया था उसमें ये-ये कमियां रह गई। आज इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए और 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप सैशन बुला कर इसको पास करें ताकि सभी सदस्य इसको पढ़ सकें और जिन जिन सदस्यों ने इस बिल के बारे में अपनी जो जो सजैशंज देनी है वह दे सकें और अपने अरमान निकाल सकें। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मेरी आपकी मारफत लीडर ऑफ दि हाऊस से दरखास्त है कि वे एक सिलैक्ट कमेटी बना दें ताकि वह कमेटी इस बिल को डिटेल में स्टडी कर ले और जिस दिन यह बिल कम्पलीट हो जाए उस दिन इसको नोटिफाई करके आप सैशन बुला लें और इसको पास करें। इससे बढ़िया बिल और कोई नहीं हो सकता।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे से पूर्व बक्ताओं ने कहा कि इस बिल का जनता को और राजनीतिज्ञों को बहुत ही दिनों से इन्तजार था। अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे भाई कर्ण सिंह दलाल बैठे बैठे कह रहे हैं कि बहन जी आप तो 20 साल से राजनीति में हो। मैं तो आपको यह कहती हूं कि आप इस लोकपाल बिल के पास करने से पहले मेरी इन्कवायरी करवा ले मैं तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, सब ओर से इस बिल का स्वागत किया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है कि बिपक्ष या कोई दूसरा सदस्य इस बिल का विरोध करना चाहता है लेकिन जैसे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि यह बिल हमें कल रात को 9.30 बजे मिला था इसलिए हम इतने थोड़े समय में इसको पढ़ कर जितनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप मेहरबानी करके और सभी बिपक्ष के सदस्यों की आकांक्षाओं को ध्यान के रखते हुए आप इस बिल को 15 दिन के बाद सैशन बुला कर सदन में ले आएं ताकि जनता इस बिल से जो आशाएं रखती हैं और जो वांछित परिणाम इसमें निकलने हैं वे सही ढंग से जनता के सामने

आ सकें या इस बिल में वे इन्कल्यूड किए जा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया वरना तो आप हमारे खड़े होते ही कह देते हैं आप बैठ जाएं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि अगर ये यह कहते हैं कि इनको यह बिल रात के 9.30 बजे मिला है तो हम इस बिल को करेंगे पास अगर ये यह कहें कि इनकी यह सजैशन है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को दे दें तो मैं इनकी बात मान लेता हूं। लेकिन हम इनकी रोजाना की गलत बयानी नहीं मानेंगे कि इनको यह बिल कल रात को 9.30 बजे मिला था।

श्रीमती करतार देवी : चौधरी साहब आपको जो बताते हैं वे गलत बताते हैं हमें वाकई हाऊस के कागजात रात के 9.30 बजे दिए जाते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल यह बिल सभी सदस्यों की टेबल पर रख दिया गया था। आप विधान सभा सैक्रेटैरिएट से पूछ लें। हम यह नहीं मानने वाले कि ये हमें गलत बता दें। अध्यक्ष महोदय, आप अपने सैक्रेटैरिएट से पता करवा कर इनको बता दें कि यह बिल कल सभी सदस्यों की टेबल पर रख दिया गया था या नहीं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इस बात को माने तो ठीक है हम यह बिल सिलैक्ट कमेटी को दे देंगे वरना हम इस बिल को पास करेंगे। हम इनका यह बहाना नहीं मानेंगे कि इनको यह बिल कल रात के साढ़े नौ बजे मिला था।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम इनकी यह बात भी मानने के लिए तैयार हैं कि यह बिल हमें पौने नौ बजे मिल गया था और हम यह बात भी मान लेते हैं कि विधान सभा सैक्रेटैरिएट ने यह बिल कल सदन के टेबल पर रख दिया था लेकिन फिर भी इस बिल को पढ़ने के लिए टाईम चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक बात है कि यह बिल कल सभी माननीय सदस्यों की सीट्स पर रख दिया गया था।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कल हम सदन से वाक आऊट करके चले गए थे हम हाउस में नहीं थे। हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आपने यह बिल हमारी मेजों पर रखवा दिया होगा लेकिन हम इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए इसलिए चौधरी बंसी लाल जी से मेरा इतना ही कहना है कि 15 दिन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आप 15 दिन के बाद दोबारा सैशन बुला लें और इस बिल को पास करवा लें आज रहने दें। आज इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप यह देख लें कि यह बिल किस स्टेज पर सिलैक्ट कमेटी को जाना चाहिए। मैं इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर करने की बात तो मान लूंगा लेकिन इस बिल को इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर रैफर किया जाए या आन दि कंसिड्रेशन ऑफ दि बिल। इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर करने की बात मैंने मान ली लेकिन आप इसकी स्टेज देख लेना कि कौन सी स्टेज पर यह बिल सिलैक्ट कमेटी को रैफर किया जाए।

12.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, मोशन मूव हो चुका है। इस समय कंसीड्रेशन स्टेज चल रही है। At this stage, it can be reffered to the Select Committee.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल, चौधरी खुर्शीद अहमद और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी समेत सभी कहते हैं कि इसे सिलैक्ट कमेटी को दे दें, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं लेकिन आप सिलैक्ट कमेटी को देने की परोपर स्टेज देख लें कि किस स्टेज पर इसे सिलैक्ट कमेटी को दिया जा सकता है।

Mr. Speaker : This is the proper stage.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप सिलैक्ट कमेटी बना दें और इसे सिलैक्ट कमेटी को दे दें।

I beg to move-

That the Haryana Lokpal Bill be referred to a Select Committee consisting of the members of the House as nominated by the Speaker.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Lokpal Bill be referred to a Select Committee consisting of the members of the House as nominated by the Speaker.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Lokpal Bill be referred to a Select Committee consisting of the members of the House as nominated by the Speaker.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned sine-die.

*12.02 बजे (The Sabha then * adjourned sine-die.)

Vidhan Sabha Secretariat Haryana Chandigarh LIBRARY